आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

जनवरी 2026

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹



आदर्श पारिवारिक व्यवस्था

■ मज़बूत परिवार ■ ख़ुशहाल समाज ■ समृद्ध राष्ट्र

यानी सुखी एवं शान्तिमय दुनिया

مستشفیٰ الشفاء

alshifa®

MULTI SPECIALITY HOSPITAL



human welfare trust | VISION 2026®

Creating Partnership with the needy

SCOPE OF SERVICES

- GENERAL MEDICINE
- CARDIOLOGY
- OBSTETRICS & GYNAECOLOGY
- PAEDIATRICS & NEONATOLOGY
- PULMONOLOGY (CHEST & T.B.)
- NEPHROLOGY & DIALYSIS
- GENERAL & LAPAROSCOPIC SURGERY
- NEUROLOGY & NEUROSURGERY
- GASTROENTEROLOGY
- GASTRO SURGERY
- PLASTIC SURGERY & BURNS
- VASCULAR SURGERY
- ORTHOPEDICS
- DERMATOLOGY (SKIN & VD)
- DIABETIC & THYROID CARE
- ENT (EAR, NOSE & THROAT)
- UROLOGY
- PSYCHIATRY
- CLINICAL PSYCHOLOGY
- OPHTHALMOLOGY (EYE)
- DENTISTRY
- ANESTHESIA & PAIN MANAGEMENT
- ONCOLOGY
- DIETETICS & NUTRITION
- PHYSIOTHERAPY
- RADIOLOGY
- BLOOD STORAGE CENTER

24/7 EMERGENCY SERVICES

ALSHIFA

MULTI-SPECIALITY HOSPITAL

D-305, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi

011 41513520, 41513530, 42175350, 98188 44498

- EMERGENCY & TRAUMA CARE
- ICU & NICU
- PHARMACY
- DIGITAL X-RAY
- CT SCAN (32 SLICE)
- FULLY AUTOMATED COMPUT. LABORATORY
- ACLS/BLS AMBULANCE

प्रधान संपादक
डॉ. फ़रहत हुसैन
kantieditorial@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
पांच वर्ष 1500/- रु॰ आजीवन रु॰ 5000/
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रिदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025
चेक / ड्राफ़्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत
ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
Printer : Akhilesh Singh
Press : AARYA PRINTERS
201, Ground Floor, DSIDC Complex
Okhla Industrial Area phase-1,
New Delhi-110020
Editor : Shibli Arsalan

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

विचार सौरभ **डॉ. कौसर यज़दानी नदवी**

एक महानतम आदर्श

एक बार फ्रांस के राजा हेनरी
अपने अंगरक्षकों और अधिकारियों के साथ
किसी सफ़र पर निकले।
रास्ते में एक भिखारी मिला।
भिखारी ने उन्हें देखकर अपनी टोपी उतार ली।
सिर झुका कर उनका अभिवादन किया।
जवाब में हेनरी ने भी अपनी टोपी उतार ली।
सिर झुका कर भिखारी का अभिवादन किया।
साथ चलने वाले अधिकारी घबरा गये।
'श्रीमान!' एक उच्चाधिकारी ने चकित हो पूछा,
आप और एक भिखारी का अभिवादन ?
सर! क्या यह उचित है?
राजा हेनरी ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया–
'मैं यह सिद्ध नहीं करना चाहता कि फ्रांस के राजा में
एक भिखारी जितना भी शिष्टाचार नहीं है।'
यह है एक आदर्श शिष्टाचार का, मात्र दिखावे के लिए,
लेकिन यही शिष्टाचार, पालनहार की प्रसन्नता के लिए हो
तो यह एक महान, बल्कि महानतम आदर्श बन जाता है।
इस्लामी राज्य के दूसरे ख़लीफ़ा चौथाई दुनिया के शासक,
रोम और ईरान के बादशाहों को पराजय का मुंह दिखाने वाले,
हज़रत उमर (रज़ि॰) ने ऐसा ही कीर्तिमान स्थापित किया था।
वह भी फ़लस्तीन के दूरस्थ सफ़र पर थे।
ऊंट एक ही था
हज़रत उमर (रज़ि॰) और उनका दास,
दोनों बारी-बारी उस ऊंट की सवारी कर रहे थे,
कभी दास नकेल थामता, हज़रत उमर (रज़ि॰) सवार होते,
कभी हज़रत उमर (रज़ि॰) नकेल थामते, दास सवार होते,
इसके पीछे कोई दिखावे का शिष्टाचार न था,
ईश-प्रसन्नता के लिए था यह समता का व्यवहार,
फिर वह समय भी आया, जब ऊंट शहर में दाख़िल हुआ,
उस समय नकेल थामने की बारी हज़रत उमर (रज़ि॰) की थी,
दास के लाख कहने के बावजूद,
हज़रत उमर (रज़ि॰) ने अपनी बारी का हक़ अदा किया,
ऊंट शहर की सड़कों पर चल रहा था,
चौथाई दुनिया पर शासन करने वाले हज़रत उमर (रज़ि॰)
ऊंट की नकेल थामे हुए पैदल चल रहे थे,
दास ऊंट पर सवार था,
और यह सब कुछ ईश-प्रसन्नता के लिए हो रहा था।
एक अनोखा कीर्तिमान, एक महान आदर्श !

(प्रथम प्रकाशन : जनवरी 1997)

वर्ष 35 अंक 07 जनवरी 2026





आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

कान्ति
मासिक

इस अंक में

➢ एक महानतम आदर्श (विचार सौरभ)	– डॉ. कौसर यज़दानी नदवी	3
➢ परिवार और समाज (संपादकीय)	–डॉ. फ़रहत हुसैन	5
➢ मार्गदर्शन	–संपादन प्रभाग	6
➢ अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) जन्म और बाल्यावस्था	–मुशर्रफ़ अली	7
➢ परिवार संस्था का बिखराव और उसके घातक परिणाम	–मुहम्मद शकील शम्सी	9
➢ ग्लोबल फैमिली डे : विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का आह्वान	–संपादन प्रभाग	13
➢ इस्लाम परिवार को मज़बूत नींव पर स्थापित करता है (इंटरव्यू)	– डॉ. मुहम्मद रज़ियुल इस्लाम नदवी	15
➢ हम भारत के लोग	–सुफ़ियान अहमद	19
➢ आधुनिक युग में पारिवारिक मूल्यों की प्रासंगिकता	–डॉ० मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी	21
➢ विश्व बंधुत्व की सार्वभौमिक अवधारणा	–एस. कौसर लईक़	25
➢ शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य	–जावेद अनवर	29
➢ नाम रह गया पीछे (लघुकथा)	–सुफ़ियान अहमद	31
➢ मां (कहानी)	–अशफ़ाक़ अहमद	32
➢ महिलाओं के अधिकार और पारिवारिक न्याय	–डॉ. ख़ान मुबश्शिरा फ़िरदौस	33
➢ आभासी दुनिया के वास्तविक जोखिम	–संपादन प्रभाग	35
➢ मानवता (कविता)	–बाक़र अली	37
➢ सर्वे भवन्तु सुखिनः (कविता)	–ज़हीर ललितपुरी	37
➢ सांस का संकट	–संपादन प्रभाग	39
➢ इस्लाम की नैतिकता और मेहमाननवाज़ी ने अमेरिका के पादरी को इस्लाम से क़रीब किया	–वारिस हुसैन	41
➢ विविधा	–संपादन प्रभाग	43
➢ समाज को इस्लामी मॉडल की ज़रूरत	–संपादन प्रभाग	45
➢ आधुनिक दुनिया में अकेलेपन की त्रासदी	–संपादन प्रभाग	46
➢ मधुमेह के लक्षणों को नज़रअंदाज़ न करें	–डॉ. हफ़्सा तस्नीम	47
➢ संघर्ष की शक्ति	–लुबना सबूब	49

संपादकीय



डॉ. फ़रहत हुसैन

परिवार और समाज

साल के पहले दिन को 'वैश्विक परिवार दिवस' (Global Family Day) के रूप में मनाए जाने के पीछे यह सुंदर सोच है कि संपूर्ण संसार एक परिवार है। विश्व शांति तथा बंधुत्व की चाह रखने वाले इस दिन यह आह्वान करते हैं कि लोग नागरिकता, राष्ट्रों की सरहदों और रंग-नस्ल की संकीर्णताओं से ऊपर उठें और संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब और फ़ैमिली का दर्जा दें। आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से दुनिया युद्ध, जलवायु संकट, आर्थिक अस्थिरता, प्रवासी संकट तथा धार्मिक उन्माद जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इन हालात में यह सोच निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि इसके लिए गंभीर प्रयास किए जाएं।

समाज के लिए परिवार के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से एक और दिवस मनाया जाता है, वह है 'परिवारों का अंतरराष्ट्रीय दिवस' (International Day of Families)। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार है। पारिवारिक व्यवस्था जितनी सुदृढ़ और गुणवान होगी, समाज और राष्ट्र उतने ही सभ्य और शक्तिशाली होंगे। पारिवारिक संस्था, स्त्री-पुरुष के रिश्ते अर्थात् दांपत्य संबंध से अस्तित्व में आती है। सामाजिक स्वीकृति अर्थात् विवाह के पवित्र बंधन के द्वारा जब स्त्री-पुरुष रिश्ते में बंधते हैं तो पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, उनके द्वारा मानव जाति की अगली नस्ल तैयार होती है तथा एक मज़बूत समाज की स्थापना होती है। यदि रिश्तों को पश्चिम की बेलगाम आज़ादी की भेंट चढ़ा दिया जाएगा तो समाज में गिरावट आना निश्चित है। अपने स्रष्टा के मार्गदर्शन को नकारते हुए जब इंसान ने इच्छापूर्ति के अनैतिक तरीक़े अपनाए तो समाज में अश्लीलता फैली तथा विधिवत विवाह, परिवार, घर और बच्चों का वजूद अरुचिकर होता चला गया। पश्चिम की इस सोच ने समाज को बहुत नुक़सान पहुंचाया है और अनेक गंभीर समस्याएं जन्म ले रही हैं जिसके नतीजे सबके सामने हैं। पारिवारिक व्यवस्था शिथिल हुई है, एड्स जैसे रोग, मानसिक अवसाद, नशाख़ोरी आदि बढ़ रहे हैं। कई देशों में जन्म-दर में भारी गिरावट के कारण जनसंख्या में युवाओं एवं युवतियों का अनुपात चिंताजनक स्तर तक कम हो गया है।

वास्तविकता यह है कि स्त्री-पुरुष संबंधों का सही रूप वही है जिसके साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी स्वीकार किया जाए। समाज के नैतिक नियमों तथा धार्मिक परंपराओं ने सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित किया है। इस्लामी शिक्षाओं में इस क्षेत्र में बहुत ही विस्तृत, संतुलित एवं स्वाभाविक नियम प्रस्तुत किए गए हैं और इस बात पर बल दिया गया है कि परिवार रूपी संस्था को सही और मज़बूत बुनियादों पर स्थापित किया जाए, जिसमें पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हुए परिवार का प्रबंधन करें तथा अपनी संतान की रक्षा-सुरक्षा, शिक्षा-दीक्षा और पालन-पोषण पूरी लगन से करें ताकि बच्चे अपने माता-पिता तथा बड़ों के आज्ञाकारी हों और अच्छे संस्कार वाले हों। घर के बड़े-बूढ़ों को घर की शोभा माना जाए, उनको पूर्ण सम्मान दिया जाए और उनकी सेवा करके परिवार का हर सदस्य प्रसन्न हो। आज जबकि पारिवारिक मूल्यों तथा रिश्तों में शिथिलता आई है, इस्लामी शिक्षाएं इस दिशा में एक ठोस मार्गदर्शन प्रस्तुत करती हैं। ■■

क़ुरआन

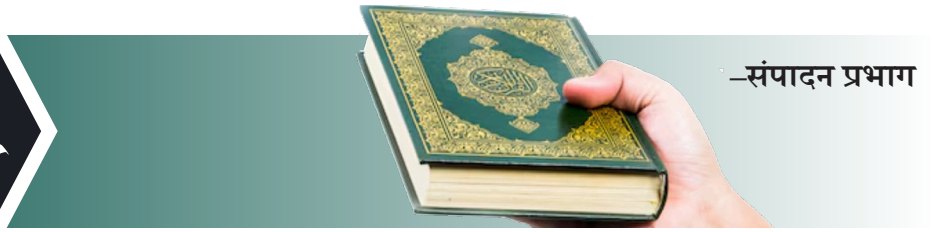

–संपादन प्रभाग

माता-पिता की सेवा में परलोक की सफलता

"और तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की बन्दगी न करो और माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे तक पहुंच जाएं तो उन्हें 'उफ़' तक न कहो और न उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे आदरपूर्वक बात करो और नम्रता तथा दयालुता के साथ उनके सामने झुक कर रहो और कहो : मेरे रब, जिस तरह इन्होंने ममता तथा स्नेह के साथ मुझे बचपन में पाला था, तू भी इनपर दया कर।" (क़ुरआन, 17 : 23, 24)

व्याख्या : यहां यह बताया गया है कि अल्लाह के बाद इंसानों में सबसे पहला हक़ मां-बाप का है। संतान को मां-बाप का आज्ञाकारी सेवक और शिष्टाचारी होना चाहिए। समाज का सामूहिक चरित्र ऐसा होना चाहिए जो संतान को मां-बाप से उदासीन बनाने वाला न हो बल्कि उनका आभारी और उनके मान-सम्मान का पाबंद बनाए और बुढ़ापे में उसी तरह उनकी सेवा करना सिखाए जिस तरह बचपन में वे उसका लालन-पालन कर चुके हैं और नाज़-नख़रे बर्दाश्त कर चुके हैं। यह शिक्षा केवल नैतिक सिफ़ारिश नहीं है, बल्कि यहां मां-बाप के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है जिनका विवरण हदीस और इस्लामी धर्मशास्त्र में मिलता है।

हदीस

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा, "धूल-धूसरित हो उसकी नाक, फिर धूल-धूसरित हो उसकी नाक, फिर धूल-धूसरित हो उसकी नाक (अर्थात् अपमानित हुआ वह) जिसने अपने माता-पिता को, एक को या दोनों को, बुढ़ापे की हालत में पाया और (उनकी सेवा करके) जन्नत में प्रवेश न किया।" (हदीस : मुस्लिम)

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के इस कथन में माता-पिता की सेवा करने की शिक्षा बहुत ही अछूते तथा असरदार ढंग से दी गई है। एक अन्य कथन में माता की सेवा की ओर अधिक ध्यान देने पर बल दिया है :

एक व्यक्ति ने पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! मेरे सुलूक (व्यवहार) का अधिक हक़दार कौन है? पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया तेरी मां, उसने कहा फिर कौन? आपने फ़रमाया तेरी मां, उसने कहा फिर कौन? आपने फ़रमाया तेरी मां, उसने कहा फिर कौन? आपने फ़रमाया तेरा बाप। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

इस हदीस से ज्ञात होता है कि मां का दर्जा बाप से बढ़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे के जन्म तथा उसके पालन-पोषण में मां की भूमिका अधिक होती है वह अधिक कष्ट उठाती है तथा अधिक परिश्रम करती है। इसी बात को क़ुरआन (31:14) में भी वर्णित किया गया है।

अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) जन्म और बाल्यावस्था



❖मुशर्रफ़ अली

जिस समय यमन के ईसाई शासक अबरहा द्वारा काबे पर चढ़ाई की घटना हुई उस समय अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह अपनी गर्भवती पत्नी को मक्का में छोड़कर व्यापारिक क़ाफ़िले के साथ सीरिया गये हुए थे। वहां से वापस आते समय वे मदीना में बीमार पड़ गये और वहीं ठहर गये, शेष क़ाफ़िला मक्का पहुंच गया। कुछ समय बाद अब्दुल्लाह की वहीं मौत हो गयी।

अब्दुल्लाह की मौत के कुछ सप्ताह बाद और अबरहा की पराजय की घटना के 50 दिन बाद 22 अप्रैल 571 ई० को सूर्योदय से ठीक पहले आमिना को एक लड़का पैदा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब को जैसे ही सूचना मिली वे आये, पोते को लेकर हरम में गये फिर काबे के अन्दर गये और इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया।

अरब नगरों के संभ्रांत लोग अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए शहर से दूर रेगिस्तानी क़बीलों में भेज देते थे। इसका एक कारण तो यह था कि बच्चे विशुद्ध अरबी भाषा सीख जाएं, क्योंकि कहीं भी नगरों की भाषा, जहां आर्थिक कारणों से विभिन्न क्षेत्रों के लोग आ बसते हैं, विशुद्ध नहीं रह जाती। दूसरा कारण यह था कि अरब शहरों में उस समय महामारियां आती रहती थीं, जिनका शिकार आम तौर से नवजात शिशु होते थे, जबकि खुले वातावरण वाले देहात इससे सुरक्षित थे। कुछ माता-पिता तो 8 वर्षों तक अपने बच्चों को रेगिस्तानी क़बीलों में छोड़ देते थे।

रेगिस्तानी क़बीलों की महिलाएं समय-समय पर क़ाफ़िला बनाकर शहरों में आती थीं और अपने साथ दूध पिलाने के लिए बच्चे ले जाती थीं। दूध पिलाने की क़ीमत वसूल करना महिला के लिए बड़े अपमान की बात होती है, इसलिए वे बच्चा लेते समय कुछ तय नहीं करतीं लेकिन इसका पूरा ध्यान रखतीं कि बच्चे के माता-पिता की ओर से अधिक से अधिक इनाम और उपहार मिले। दूसरी ओर बच्चे के माता-पिता भी यह देखते थे कि दूध पिलाने वाली ग़रीबी की मारी न हो, कि बच्चे का पेट भी न भर सके। इस बार जो महिलाएं आयीं तो उन्होंने विभिन्न घरों में जाकर अपने लिए एक-एक बच्चा चुन लिया, लेकिन आमिना के यतीम बेटे को लेने के लिए कोई महिला तैयार न हुई। इस बच्चे के बाप की

मौत हो चुकी थी और उसका दादा भी बहुत बूढ़ा हो चुका था, वह काबे का संरक्षक और क़बीले का सरदार तो था, मगर साथ ही उसकी अपनी संतानें भी बहुत थीं, ऐसे में उससे बहुत इनाम और उपहार की आशा नहीं की जा सकती थी।

इन महिलाओं में क़बीला बनी सअद की हलीमा नाम की एक महिला भी थी, जो बहुत ही ग़रीब और अकालग्रस्त थी। वह अपने बच्चे को भी पेट भर दूध नहीं पिला पाती थी। उसकी ऊंटनी भी इतनी कमज़ोर थी कि क़ाफ़िले में सबसे पीछे रह जाती थी। हलीमा को किसी ने भी अपना बच्चा नहीं दिया और आमिना के बच्चे को लेने के लिए वह तैयार नहीं हुई। जब क़ाफ़िला के लौटने का समय आ गया और हलीमा को कोई बच्चा न मिला तो उसने मजबूरी में आमिना के बच्चे को दूध पिलाना स्वीकार कर लिया। इस बच्चे को गोद लेते ही हलीमा की दुनिया बदल गयी। उसकी छाती दूध से भर गयी। उसके अपने बच्चे ने भी पहली बार पेट भर कर दूध पिया और नये बच्चे ने भी। उसकी कमज़ोर और दुबली ऊंटनी ने भी इतना दूध दिया कि उसके पूरे कुंबे के लिए पर्याप्त हो गया। वापस जाते समय हलीमा की ऊंटनी क़ाफ़िले से आगे-आगे रहती और हलीमा को ठहर कर क़ाफ़िले का इंतिज़ार करना पड़ता।

हलीमा के क़बीले बनी सअद का इलाक़ा बहुत ही बंजर इलाक़ा था, लेकिन इस बच्चे के आने के बाद से वहां भी हरियाली आ गयी और आदमियों और मवेशियों सबको भर पेट खाने को मिलने लगा। दो वर्ष पूरे होने पर हलीमा ने बच्चे का दूध छुड़ाया और उसे लेकर उसकी मां के पास मक्का गयी, लेकिन हलीमा बच्चे को वहां छोड़ने को तैयार नहीं थी, उन्होंने किसी तरह बच्चे की मां को मना लिया और बच्चा फिर इनके साथ क़बीला बनी साद में आ गया। दो-एक वर्ष में जब बच्चे का स्वास्थ्य और अच्छा हो गया और उसने भाषा पर भी अच्छी पकड़ बना ली तो हलीमा ने उसे उसकी मां के पास मक्का पहुंचा दिया।

बच्चे के साथ कुछ महीने मक्का में रहने के बाद आमिना अपने रिश्तेदारों के पास मदीना चली आयीं। साथ में उनकी विशेष सेविका उम्मे-ऐमन भी थी। कुछ समय यहां रहने के बाद, आमिना जब मक्का वापस आ रही थीं, तो रास्ते में वे बीमार पड़ीं और उनकी मौत हो गयी। 6 साल का बच्चा, जिसने बाप को देखा भी नहीं था, मां से भी वंचित हो गया। उम्मे-ऐमन उसे लेकर मक्का आयीं और बच्चे को उसके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब को जितनी मुहब्बत अपने बेटे अब्दुल्लाह से थी वह अब अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद के हिस्से में आ गयी। वह पोते को हर समय अपने साथ रखते। यहां तक कि काबा के साये में अब्दुल मुत्तलिब के लिए जो आसन बिछाया जाता, जिस पर आने का साहस कोई नहीं कर पाता, वह बच्चा उसपर भी उनके साथ होता। वे पोते को देखकर बहुत ख़ुश होते और बार-बार कहते कि इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अब्दुल मुत्तलिब दारुन-नदवा (जो एक तरह से मक्का वालों की संसद थी) में भी बच्चे को लेकर जाते और उससे राय भी लेते।

नन्हें मुहम्मद अपने दादा के साथ दो वर्ष रहे, फिर दादा की भी मौत हो गयी। मरने से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे का हाथ अब्दुल्लाह के सगे भाई अबू-तालिब को थमा दिया। अबू-तालिब और उनकी पत्नी ने मुहम्मद को अपने बेटों की तरह पाला और इस बात की पूरी कोशिश की कि बच्चे को मां-बाप दोनों का प्यार मिले। बाद के दिनों में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) कहा करते थे कि, चचा और चची ने अपने अस्ली बेटों से बढ़कर मुझे प्यार दिया और हमेशा मुझे उनपर वरीयता दी। ■■



विशेष आयोजन

परिवार संस्था का बिखराव और उसके घातक परिणाम

❖मुहम्मद शकील शम्सी

अल्लाह ने जब इस विशाल और असीम जगत की रचना की, तो साथ ही यह घोषणा भी कर दी कि हमने हर चीज़ को जोड़े-जोड़े बनाया ताकि तुम इससे सीख लो और चेतावनी ग्रहण करो (क़ुरआन, 51:49)। दुनिया के तमाम जीवों को प्रजनन के लिए अपनी इच्छानुसार संबंध बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इंसान, जिसे श्रेष्ठतम प्राणी बनाया गया—के लिए विस्तृत नियम और हिदायतें उतारीं और अपने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के माध्यम से इन नियमों को व्यवहार में लागू करके दिखाया। पुरुष और स्त्री के पारस्परिक संबंध के लिए निकाह (विवाह) का क़ानून बनाया गया और इसके अलावा पुरुष-स्त्री के किसी भी प्रकार के यौन संबंध को कठोरता से वर्जित (हराम) ठहरा दिया गया। अल्लाह ने क़ुरआन में विवाह का आदेश देते हुए कहा : "तुम्हें जो स्त्रियां पसंद हों उनसे विवाह करो—दो, तीन या चार; लेकिन यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम न्याय नहीं कर पाओगे, तो केवल एक ही (से विवाह करो)।" (क़ुरआन, 4:3)

एक और स्थान पर आदेश दिया गया—"अपने समाज के अविवाहित पुरुषों और स्त्रियों का विवाह करा दो।" (क़ुरआन, 24:32)

निकाह के महत्व पर ज़ोर देते हुए पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा :

"निकाह मेरा तरीक़ा (सुन्नत) है, और जिसने मेरे तरीक़े पर अमल न किया, वह हम में से नहीं।" (हदीस : अबू-दाऊद)

क़ुरआन में कई अन्य स्थानों पर भी विवाह की प्रेरणा दी गई है। प्रश्न यह है कि आख़िर विवाह पर इतना ज़ोर क्यों?

मानव-जाति की निरंतरता और संरक्षण का आधार मज़बूत पारिवारिक व्यवस्था है, और यह व्यवस्था पुरुष-स्त्री के वैध व स्थायी संबंध से ही बनती है, जिसे केवल निकाह/विवाह ही सुनिश्चित करता है। सुसंस्कृत मानव-जाति के निरंतर विकास के लिए निकाह अनिवार्य है।

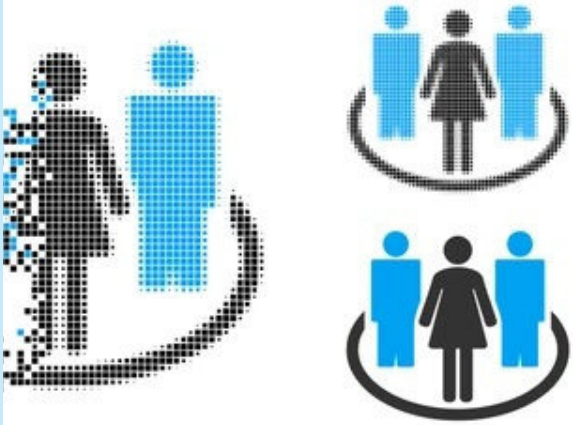

निकाह को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि निकाह है क्या। इस्लाम में निकाह पुरुष और स्त्री के बीच दो गवाहों की मौजूदगी में, मह्र (सुरक्षा-धन) के बदले, बिना किसी दबाव के, पति-पत्नी के रूप में जीवन बिताने का पक्का और स्थायी अनुबंध है। क़ुरआन ने इस अनुबंध को "मीसाक़न ग़लीज़ा" — अर्थात् अत्यंत मज़बूत और गम्भीर वचन कहा है (क़ुरआन, 4:21)। यह कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं बल्कि स्थायी ज़िम्मेदारी है।

इस्लाम में निकाह सिर्फ़ यौन-सुख तक सीमित नहीं है,

बल्कि यह एक इबादत, एक बड़ी ज़िम्मेदारी और व्यक्ति तथा समाज दोनों की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य मज़बूत परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण है। बच्चे माता-पिता के प्रेम और निगरानी में पलते हैं ताकि वे मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से मज़बूत बनें और समाज का उपयोगी हिस्सा बनें। मानव-जाति की निरंतरता और संरक्षण का आधार मज़बूत पारिवारिक व्यवस्था है, और यह व्यवस्था पुरुष-स्त्री के वैध व स्थायी संबंध से ही बनती है, जिसे केवल निकाह ही सुनिश्चित करता है। सुसंस्कृत मानव-जाति के निरंतर विकास के लिए निकाह अनिवार्य है।

इस्लाम में निकाह सिर्फ़ यौन-सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक इबादत, एक बड़ी ज़िम्मेदारी और व्यक्ति तथा समाज दोनों की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य मज़बूत परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण है। बच्चे माता-पिता के प्रेम और निगरानी में पलते हैं ताकि वे मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से मज़बूत बनें और समाज का उपयोगी हिस्सा बनें।

अल्लाह क़ुरआन में कहता है : "ऐ लोगो! अपने रब का डर रखो, जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उसी जाति का उसके लिए जोड़ा पैदा किया और दोनों से बहुत-से पुरुष और स्त्रियां फैला दीं। (क़ुरआन, 4:1)

दूसरी जगह फ़रमाता है : "और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही सहजाति से पत्नियां बनाईं और तुम्हारी पत्नियों से तुम्हारे पुत्र और पौत्र लिए।" (क़ुरआन, 16:72)

समय से विवाह का एक बड़ा लाभ यह है कि समाज काफ़ी हद तक यौन-अपराधों से पवित्र हो जाता है। क्योंकि प्राकृतिक इच्छा की पूर्ति का एक सुरक्षित, संतुलित और स्थायी साधन पत्नी या पति के रूप में मिल जाता है। तब ग़लत राह देखने की ज़रूरत नहीं रहती, सिवाय उन लोगों के जो यौन-दुराचारी हों, जिनके लिए इस्लाम उचित दंड निर्धारित करता है।

इससे समाज में सुरक्षा की भावना पैदा होती है, जो मानसिक और सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक प्रभाव डालती है। महिलाएं निडर होकर अपनी आवश्यकताओं के लिए घर से बाहर निकल सकती हैं। जबकि आज की स्थिति यह है कि बड़ी लड़कियों की बात तो छोड़िए, छोटी बच्चियों तक का घर से बाहर निकलना असुरक्षित हो गया है। छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की ख़बरें लगातार आती रहती हैं। गहराई से देखा जाए यह सब समय से विवाह न करने या विवाह ही न करने या अपनी यौन-इच्छा की पूर्ति अवैध तरीक़ों से करने का परिणाम है।

यूरोप से आयातित यह बुराई हमारे समाज में तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि इसे क़ानूनी संरक्षण भी प्राप्त है। स्पष्ट रहे कि दुनिया के अधिकांश देशों की तरह हमारे यहां भी आपसी सहमति से बने यौन-संबंध (Consensual Sexual Relationship) को क़ानूनी हैसियत हासिल है। इसका परिणाम है अश्लीलता, नग्नता, यौन-उत्तेजना, बलात्कार और टूटता पारिवारिक ढांचा, जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।

निकाह का एक उद्देश्य परिवार में सुकून, स्थिरता और आपसी प्रेम-करुणा का स्थायी भाव पैदा करना है। क़ुरआन कहता है : "और यह भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही सहजाति से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उनके पास शान्ति प्राप्त करो। और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा की। और निश्चय ही इसमें बहुत-सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं।"

(क़ुरआन, 30:21)



अल्लाह ने पुरुष और स्त्री को पैदा किया और दोनों के भीतर एक ऐसा आकर्षण रखा कि दोनों को मिले बिना चैन नहीं मिलता और मिलने के बाद सुकून मिलता है और फिर यही शुरुआती सुकून धीरे-धीरे स्थायी रूप से आपसी प्रेम और सहानुभूति में बदल जाती है, जिससे दो अंजान इंसान पूरी ज़िन्दगी एक साथ हंसी-ख़ुशी गुज़ार लेते हैं।

निकाह का ही कमाल है कि यह दो अजनबियों के बीच भलाई, सहानुभूति, त्याग और क़ुर्बानी का भाव पैदा करती है। वे एक-दूसरे के सुख-दुख में साझेदार बनते हैं। यही पवित्र भाव उन्हें अपने बच्चों को प्रेम से पालने के लिए प्रेरित करता है। जो बच्चे पिता की सुरक्षा और मां की निगरानी में पलते हैं, वे मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से मज़बूत होते हैं। जैसा कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है।



यह जोश उन लोगों को कहां नसीब होंगे जो बिना विवाह या निकाह के जानवरों की तरह अपनी यौन-इच्छा पूरी करते हैं। आज की भाषा में इस तरह के अवैध संबंधों को Live-in Relationship या Cohabitation कहते हैं। इसे हमारी ज़बान में "Consensual Relationship" (सहमति से बना अनैतिक संबंध) कहा जाता है। ऐसे संबंधों को अधिकांश देशों में क़ानूनी संरक्षण मिला हुआ है। यह बुराई अब केवल यूरोप ही नहीं, हमारे भारत और अरब देशों तक में फैल चुकी है।

इन रिश्तों में स्थिरता नहीं होती, क्योंकि उनका उद्देश्य परिवार बनाना नहीं, सिर्फ़ यौन-इच्छा की पूर्ति होता है। अधिकांश मामलों में इसका अंत बहुत दुखद होता है। अख़बारों में बार-बार ख़बरें आती रहती हैं कि लिव-इन जोड़े ने एक-दो साल बाद आत्महत्या कर ली, या एक ने दूसरे की हत्या कर दी, या मामला अदालत पहुंच गया। चूंकि विवाह हुआ ही नहीं, इसलिए रिश्ता न सम्मानित होता है, न ही ज़िम्मेदारियों के साथ टिकाऊ।

एक-दो साल में जब दिल भर जाता है, तो नए साथी की खोज शुरू होती है, जिसके लिए पुराने साथी को हटाना ज़रूरी समझा जाता है। उनकी स्थिति टिशू-पेपर जैसी होती है, जिसे इस्तेमाल करके कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है।

यूरोपीय देशों में यह महामारी पूरी तरह फैल चुकी है। इस अनियंत्रित यौन-संस्कृति के परिणामों की एक झलक उन्हीं के आंकड़ों से समझे जा सकते हैं। यूरोस्टैट (Eurostat) की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में यूरोप में विवाह-दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर केवल 4 थी, 1000 में 996 लोगों ने विवाह नहीं किया और अविवाहित रहना पसंद किया और यह प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ रही है। फिर जिन गिने-चुने लोगों ने विवाह किया भी, उनके विवाह की औसत उम्र 37 वर्ष रही।

इसका परिणाम महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन-अपराधों में भयावह वृद्धि के रूप में सामने आया। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2023 में यूरोप में यौन-हिंसा के दर्ज मामले 2,43,715 थे, जिनमें 91,370 बलात्कार के मामले थे, वर्ष 2022 की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक। जर्मनी में यह वृद्धि 9.3 प्रतिशत रही।

भारत में भी स्थिति अलग नहीं, Business Standard की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में यौन-हिंसा के 4,48,211 दर्ज मामले थे, जिनमें 29,670 बलात्कार शामिल हैं। इसका दूसरा भयानक परिणाम नाजायज़ (अवैध) बच्चों के जन्म के रूप में सामने आता है। आंकड़ों के अनुसार, ऐसे संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों का प्रतिशत फ्रांस में 59.7 प्रतिशत, पुर्तगाल में 59.5 प्रतिशत और बुल्गारिया में 58.5 प्रतिशत है।

ऐसे बच्चों का भविष्य जिनके माता-पिता हर साल-दो साल में साथी बदलते रहते हों, कितना अंधकारमय होगा इसे समझा जा सकता है। ऐसे बच्चे भावनात्मक रूप से कमज़ोर, मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं और आसानी से अपराध की ओर झुक जाते हैं। ■■

ESTD. 2018 Registration. No. PR10001186

एनायत प्राईवेट (आई.टी.आई.) عنایت پرائیویٹ (آئی۔ٹی۔آئی)

ENAYETH PVT. (I.T.I.)

1917 100 2017

THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE CAMPUS

Cherki - 824237, Distt. Gaya (Bihar) INDIA

NCVT भारत सरकार नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त

Affiliated to N.C.V.T. New Delhi Government of India



नामांकन जारी है। इलेक्ट्रीशियन और फीटर दो वर्षीय कोर्स

ADMISSION IS GOING ON FOR TWO TRADES

ELECTRICIAN & FITTER 2 YEARS COURSE

- Foundation Stone Was Laid by DR. AKHLAQUR RAHMAN KIDWAI, Governor of Bihar (Dated 7th November 1993).
- Inaugurated by MR. LALU PRASAD YADAV, Former Chief Minister of Bihar (Dated 2nd December 2017)

Note I.T.I. की डिग्री अब I.Sc. (Math) के समकक्ष
I.T.I. DEGREE IS EQUIVALENT TO I.Sc. (MATH)

Remember

- Grand Building With a Big Playground in About 16 Acres of Land.
- Big And Airy Classrooms.
- Lush Green Park in the Centre of the Building.
- Big Workshop with all Equipments of Both Trades.
- A Library Named As Dr. A.P.J. ABDUL KALAM & Dr. AKHLAQUR RAHMAN KIDWAI
- Library For the Students.

DIRECTOR

Note रेलवे की आगामी GROUP-D की नियुक्ति में I.T.I. अनिवार्य कर दिया गया है।
IN THE NEXT APPOINTMENT OF RAILWAY'S GROUP-D, I.T.I. HAS BECOME COMPULSORY.

Managed By THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
CHERKI-824237, DISTT. GAYA (BIHAR) INDIA

Contact No.: 7079262582, 9852915911, 7258063440 (Whatsapp No.)

आएँ! हम से हाथ मिलाएँ और अपने बच्चे का भविष्य रौशन बनाएँ ।
COME! JOIN HANDS WITH US AND ENSURE BRIGHT FUTURE OF YOUR BOYS.








ग्लोबल फैमिली डे : विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का आह्वान

❖संपादन प्रभाग

हर वर्ष 1 जनवरी को दुनिया भर में ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। नए वर्ष की पहली सुबह केवल दीवार पर कैलेंडर बदलाव नहीं होती, बल्कि यह हमें एक नये दृष्टिकोण के साथ जीवन को समझने, जोड़ने और समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। रंग, जाति, धर्म, भाषा, सीमाओं से परे हम सब एक-दूसरे के भाई हैं। यह केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि एक आह्वान है कि हम अपने घर-परिवार से निकलकर पूरे विश्व को अपना परिवार मानें और उसके प्रति उत्तरदायी बनें। इसी उद्देश्य से दुनिया के कई देश एक-साथ मिलकर यह दिन मनाते हैं, ताकि पूरी मानवता को एक परिवार की तरह समझने की भावना मज़बूत हो।

ग्लोबल फैमिली डे हमें याद दिलाता है कि हर इंसान की मूल पहचान "मानव" है। सीमाएं, जाति, धर्म और राष्ट्र – सब मनुष्यों ने बनाए हुए हैं। लेकिन स्नेह, करुणा, शांति और सद्भाव – ये सार्वभौमिक मूल्य हैं।

ग्लोबल फैमिली डे की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में "अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष" घोषित किया था और इसके अगले वर्ष 1994 में "अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस" (15 मई) शुरू किया। लेकिन नए साल के पहले दिन को "विश्व परिवार दिवस" के रूप में मनाने का विचार सर्वप्रथम अमेरिका में सामने आया। बाद में इसे "Global Family Day" और "World Peace Day" के रूप में भी जाना गया। इसका मुख्य संदेश है – "Peace Begins at Home, and Home is Everywhere" (शांति घर से शुरू होती है, और घर हर जगह है।)

आज दुनिया युद्ध, जलवायु संकट, आर्थिक असमानता, प्रवासी संकट और धार्मिक उन्माद से जूझ रही है। इन चुनौतियों का एक बड़ा कारण टूटते सामाजिक रिश्ते, बढ़ती नफ़रत, अलगाव, हिंसा और धार्मिक-सामाजिक तनाव हैं। ऐसे समय में ग्लोबल फैमिली डे हमें याद दिलाता है कि हर इंसान की मूल पहचान ''मानव'' है। सीमाएं, जाति, धर्म और राष्ट्र — सब मनुष्यों ने बनाए हुए हैं। लेकिन स्नेह, करुणा, शांति और सद्भाव — ये सार्वभौमिक मूल्य हैं। सीरिया, यमन, यूक्रेन या ग़ज़्ज़ा के लोग

भी हमारी हमदर्दी के उतने ही हक़दार हैं, जितने हमारे अपने देश के पीड़ित लोग। रोहिंग्या, उइगर या अफ़्रीक़ी शरणार्थी जो समुद्र पार करते हुए जान गंवा देते हैं, तो हमें भी उनकी पीड़ा महसूस होनी चाहिए। ग्लोबल फैमिली डे हमें याद दिलाता है कि सीमाएं मानव-निर्मित हैं, मानवता नहीं।

परिवार केवल रक्त-संबंध नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था है जहां मूल्य जन्म लेते हैं, संस्कार विकसित होते हैं, प्रेम और सुरक्षा का एहसास मिलता है, और समाज की स्थिरता बनती है। परिवार जितना मज़बूत होता है, समाज उतना ही संतुलित और शांतिपूर्ण बनता है। आज दुनिया को परिवार यानी ग्लोबल फैमिली के इन्हीं बुनियादी उसूलों को विश्व स्तर पर मनाने की ज़रूरत है।



आज परिवार और समाज दोनों कई प्रकार के दबावों से गुज़र रहे हैं। व्यक्तिगतता (Individualism) का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। "मैं पहले" वाली सोच ने "हम सब" की मूल भावना को कमज़ोर कर दिया है। परिवार में संवाद की कमी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। एक ही घर में रहकर भी लोग मन से एक–दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तेज़ रफ़्तार जीवन–शैली, काम का तनाव, समय की कमी और डिजिटल दुनिया ने इनसान को अकेला कर दिया है। सामाजिक–धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण दुनिया कई स्थानों पर घृणा और विभाजन की राजनीति का शिकार हो रही है। दुनिया के कई क्षेत्रों में युद्ध ने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया है।

ग्लोबल फैमिली डे का संदेश केवल बड़े नारों या आयोजनों तक सीमित न रहे। इसे छोटे–छोटे लेकिन प्रभावी क़दमों से अपनाया जा सकता है। हम साल की शुरुआत परिवार के साथ प्रेम और संवाद बढ़ाकर करें। नई पीढ़ी को परिवार के मूल्यों से जोड़ें। बच्चों को संवेदना, सहयोग और मानवता का महत्व समझाएं। टूटे रिश्तों और बिगड़ी बातों को बनाएं, ग़लतफ़हमियां दूर करें, अपनों को माफ़ करें और आगे बढ़ें। पड़ोसियों से संपर्क बढ़ाएं—एक मुस्कान, एक सलाम, एक छोटी मदद माहौल को ख़ुशगवार बना देती है। कमज़ोर वर्गों, बुज़ुर्गों और अनाथों की मदद सामाजिक परिवार को मज़बूत करती है। सोशल मीडिया पर सकारात्मकता फैलाएं नफ़रत नहीं। संवाद, शांति और सद्भाव के संदेश साझा करें।

ग्लोबल फैमिली डे हमें याद दिलाता है कि मानवता की डोर प्रेम से जुड़ती है। यह कि परिवार केवल घर की चारदीवारियों में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैला है। हमारी छोटी–छोटी कोशिशें दुनिया में बड़ी शांति ला सकती हैं। अगर हर समाज में परिवार मज़बूत हों तो हर देश मज़बूत होगा और अंततः पूरी दुनिया शांति और सद्भाव की राह पकड़ेगी। इस नए साल में हम सब मिलकर यह साबित करें कि मानवता अभी ज़िंदा है। ■■

कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें!

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

इंटरव्यू

इस्लाम परिवार को मज़बूत नींव पर स्थापित करता है

(शरीया काउंसिल, जमाअत इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी डॉ. मुहम्मद रज़ियुल इस्लाम नदवी से मुशर्रफ़ अली की बातचीत)



सवाल 1 : इस्लाम परिवार को किस नज़र से देखता है? आज की व्यक्तिवादी (Individualistic) दुनिया में इस्लामी पारिवारिक व्यवस्था का बुनियादी दर्शन क्या है?

जवाब : इंसान स्वभाव से सामूहिकता को पसंद करता है। उसकी फ़ितरत में यह बात शामिल है कि वह अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर जीवन बिताए। इसी तरह उसकी रचना इस तरह की गई है कि उम्र के एक ख़ास पड़ाव पर पहुंचते ही वह अपने अंदर विपरीत लिंग की ओर स्वाभाविक आकर्षण महसूस करता है। प्रकृति ने यह इंतिज़ाम इसलिए किया है ताकि मानव-वंश चलता रहे और क़ियामत तक बना रहे।

इस्लाम ने मर्द और औरत के बीच यौन संबंध को सिर्फ़ निकाह तक सीमित कर दिया है और निकाह से बाहर किसी भी तरह के यौन संबंध को हराम और दंडनीय अपराध ठहराया है। इस्लाम चाहता है कि निकाह के ज़रिए परिवार अस्तित्व में आए, बच्चे हों तो मां-बाप मिलकर उनकी परवरिश करें। बच्चे बड़े हों तो वे अपने माता-पिता का ध्यान रखें और उन्हें हर तरह की सुविधा दें। रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की हिदायत है। जब परिवार के सभी सदस्यों के बीच अच्छे और सुखद संबंध होते हैं, तभी एक अच्छा समाज बनता है, क्योंकि समाज कई परिवारों से मिलकर ही बनता है।

सवाल 2 : क़ुरआन ने परिवार की बुनियाद किन उसूलों पर रखी है? क़ुरआन में सूरा रूम की आयत न. 21 में "सुकून", "मुवद्दत" और "रहमत" जैसे शब्दों की सही व्याख्या क्या है?

जवाब : इस्लाम में परिवार की बुनियाद उसके सभी सदस्यों के बीच ख़ुशगवार संबंधों, आपसी मुहब्बत और त्याग पर रखी गई है। इसे "अल्लाह की निशानी" कहा गया है। सूरह अर-रूम की आयत नंबर 21 (जिसका आपने हवाला दिया) में इस बात को साफ़-साफ़ बयान किया गया है। अल्लाह का फ़रमान है :

"और उसी की निशानियों में से एक यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जैसे जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे बीच मुहब्बत और रहमत (मह्‌रबानी) पैदा कर दी। बेशक इसमें बहुत-सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं।"

वैवाहिक रिश्ता (पति–पत्नी का संबंध) मर्द और औरत—दोनों को शारीरिक और आध्यात्मिक सुकून देता है। उन्हें मानसिक और भावनात्मक आराम मिलता है। दोनों के दिलों में स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो जाता है। हर एक-दूसरे की सुविधा और ख़ुशी के लिए अपनी

तकलीफ़ भी उठाने को तैयार रहता है।

एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया : "दो व्यक्तियों के बीच जितनी मुहब्बत निकाह के ज़रिये पैदा होती है, उतनी किसी और चीज़ से नहीं होती।"

(इब्ने-माजा : 1847)

इससे मुसलमानों को यह शिक्षा मिलती है कि जब वे परिवार की स्थापना करें, तो इन बुनियादी बातों को हमेशा ध्यान में रखें।

सवाल 3 : इस्लाम में निकाह को सिर्फ़ एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि इबादत क्यों समझा गया है? इस नज़रिए के क्या नैतिक और सामाजिक प्रभाव हैं?

जवाब : इस्लाम में निकाह के मामले में दोनों पहलुओं का ध्यान रखा गया है। एक तरफ़ निकाह को इबादत का दर्जा दिया गया है। इस्लाम की तालीम यह है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह तआला की मर्ज़ी के मुताबिक़ गुज़ारे। निकाह ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव है। शादी-शुदा ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा को सामने रखने और उसकी नाफ़रमानी से बचने की लगातार हिदायत दी गई है।

एक हदीस में आता है : "जब कोई व्यक्ति निकाह कर लेता है, तो उसके दीन का आधा हिस्सा सुरक्षित हो जाता है। अब उसे बाक़ी आधे हिस्से में अल्लाह से डरते रहना चाहिए।" (हदीस : बैहक़ी-586)

निकाह के वक़्त जो ख़ुतबा पढ़ा जाता है, उसमें क़ुरआन की जिन आयतों की तिलावत होती है, उनमें बार–बार अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुज़ारने की हिदायत दी गई है, रिश्तों की क़द्र करने का हुक्म दिया गया है, और पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमांबरदारी में गुज़ारने की ताकीद की गई है।

दूसरी तरफ़, निकाह को एक सामाजिक अनुबंध (Social Contract) भी माना गया है। जैसे दूसरे अनुबंध ज़रूरत पड़ने पर ख़त्म किए जा सकते हैं, उसी तरह निकाह के बाद अगर पति–पत्नी के बीच निभाना संभव न हो और निकाह के उद्देश्य पूरे न हो रहे हों, तो उसे ख़त्म करने का विकल्प खुला रखा गया है।

लेकिन हर हाल में निकाह में इबादत का पहलू ही ज़्यादा हावी है। इसका इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पति–पत्नी दोनों आपस के मामलों में इस्लामी शिक्षा को सामने रखते हैं और क़दम-क़दम पर अल्लाह की नाफ़रमानी से बचते हैं।

सवाल 4 : इस्लाम पति-पत्नी के रिश्ते को किन बुनियादी उसूलों पर क़ायम करता है? क्या यह रिश्ता बराबरी (Equality) पर क़ायम है या आपसी तकमील (Complementarity) पर?

जवाब : औरतों की आज़ादी के झंडाबरदार और पश्चिमी सभ्यता के दीवाने पति-पत्नी के रिश्ते को सिर्फ़ बराबरी की नज़र से देखते हैं। उनके नज़दीक बराबरी का मतलब यह है कि घर चलाने में दोनों का हिस्सा बराबर हो और दोनों की ज़िम्मेदारी भी बराबर हो। हर वह काम जो मर्द कर सकता है, औरत भी कर सकती है। लेकिन इस्लाम में पति-पत्नी के बीच बराबरी नहीं, बल्कि अद्ल (इंसाफ़) को ध्यान में रखा गया है। इस्लाम ने घर चलाने की ज़िम्मेदारी मर्द पर डाली है और औरत को उसकी आज्ञापालन का हुक्म दिया है। दोनों मिलकर परिवार बनाते हैं, उसकी व्यवस्था और चलाने में एक-दूसरे का साथ देते हैं। उनकी हैसियत मुक़ाबिल (प्रतिद्वंद्वी) की नहीं, बल्कि रफ़ीक़ (साथी) की होती है। वे ज़िंदगी के मामलों में एक-दूसरे के मुक़ाबले के नहीं, बल्कि गठजोड़ के साथी होते हैं। शौहर घर के बाहर के काम करता है और औरत ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ देती है, जबकि औरत घर का अंदरूनी व्यवस्था संभालती है और मर्द सुविधा के मुताबिक़ उसका मददगार और सहायक होता है। ख़ुलासा यह कि पारिवारिक व्यवस्था में दोनों का वजूद एक-दूसरे की पूर्ति करता है।

सवाल 5 : परिवार में नेतृत्व और ज़िम्मेदारी का संतुलन कैसे समझा जाए? आधुनिक Gender Equality के विचार और इस्लामी 'अद्ल' (इंसाफ़) के सिद्धांत में क्या फ़र्क़ है?

जवाब : इस्लाम के पारिवारिक व्यवस्था और परिवार के सदस्यों की ज़िम्मेदारियों को क़ुरआन मजीद की इस आयत में बयान किया गया है :

"मर्द औरतों पर क़व्वाम (मामलों के ज़िम्मेदार) हैं, इस आधार पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत (विशिष्टता) दी है और इस आधार पर कि मर्द अपने माल ख़र्च करते हैं। इसलिए जो भली औरतें हैं, वे आज्ञापालन करने वाली होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की सुरक्षा

और निगरानी में उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं।"

(क़ुरआन, 4:34)

इस आयत से साफ़ पता चलता है कि इस्लाम में परिवार के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी मर्द को दी गई है और औरत को उसकी आज्ञापालन का पाबंद किया गया है। मिसाल के तौर पर एक कम्पनी में कुछ लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, कुछ दूसरे लोग मार्केटिंग संभालते हैं। उन सबका एक बॉस होता है जिसका हुक्म मानना सभी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी होता है। अगर हर कर्मचारी अपनी मर्ज़ी का मालिक हो जाए तो कंपनी ठीक से नहीं चल सकती। इस्लामी पारिवारिक व्यवस्था और आधुनिक परिवार के विचार में यही बुनियादी फ़र्क़ है कि आधुनिक विचार में मर्द को लीडर और औरत को उसका अधीनस्थ नहीं माना जाता, जबकि इस्लाम परिवार का नेतृत्व मर्द को सौंपता है और बीवी को शौहर की आज्ञापालन की तालीम देता है।

सवाल 6 : इस्लामी पारिवारिक व्यवस्था में औरत की असली भूमिका क्या है? घरेलू और सामाजिक ज़िम्मेदारियों में संतुलन कैसे पैदा किया जाए?

जवाब : इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था मर्द और औरत दोनों के आपसी सहयोग से बनती है और औरत की हैसियत इसमें सलाहकार और सहयोगी की होती है। वह अपने दायरे में पूरा इख़्तियार भी रखती है। इस बात को एक हदीस में इन शब्दों में बयान किया गया है :

"और बीवी अपने शौहर के घर और बच्चों की निगरां होती है और उससे इनके बारे में सवाल किया जाएगा।"

(हदीस : बुख़ारी-7138, मुस्लिम-1829)

इसलिए औरत की सबसे पहली ज़िम्मेदारी अपने घर और परिवार के व्यवस्था को संभालना है, लेकिन साथ ही समाज के सुधार के मामले में भी उसे सक्रिय भूमिका निभानी है। क़ुरआन मजीद में अल्लाह का आदेश है :

"मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक-दूसरे के रफ़ीक़ (साथी) हैं। वे भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं।"

(क़ुरआन, 9:71)

इससे मालूम हुआ कि औरत को घरेलू ज़िम्मेदारियां तो निभानी ही हैं साथ ही सामाजिक ज़िम्मेदारियों से भी मुंह नहीं मोड़ना है। दोनों के बीच संतुलन क़ायम करना ज़रूरी है। यह सही नहीं कि औरत सिर्फ़ अपने घर पर ध्यान दे और समाज से पूरी तरह बेपरवाह रहे। इसी तरह यह भी सही नहीं कि वह बाहर के कामों-सामाजिक आंदोलनों में इतनी व्यस्त हो जाए कि शौहर, बच्चों और घर के बाक़ी लोगों को बिल्कुल वक़्त न दे सके।

सवाल 7 : इस्लाम माता-पिता और बच्चों के अधिकारों के बारे में क्या मार्गदर्शन देता है? आज के समाज में जब माता-पिता की अनदेखी (Parental Neglect) बढ़ रही है और बढ़ती उम्र में अकेलापन आम होता जा रहा है, इस्लाम इसका क्या हल पेश करता है?

जवाब : इस्लाम में माता–पिता के और बच्चों के अधिकार भी बताए गए हैं और दोनों की ज़िम्मेदारियां भी स्पष्ट कर दी गई हैं। माता–पिता के अधिकार, बच्चों के दायित्व हैं और बच्चों के अधिकार, माता–पिता के दायित्व हैं। अगर दोनों पक्ष अपने-अपने दायित्वों पर ध्यान दें और उन्हें निभाने की कोशिश करें, तो दूसरे के अधिकार ख़ुद-ब-ख़ुद पूरे हो जाएंगे।

माता-पिता को हुक्म दिया गया है कि वे अपनी औलाद का पालन-पोषण करें और उनकी दीनी तालीम व तर्बियत की व्यवस्था करें। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) का कथन है :

"माता-पिता ने अपनी औलाद को अच्छे अख़्लाक़ (शिष्टाचार) सिखाने से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं दिया।"

(हदीस : तिरमिज़ी-1952)

इसी तरह बच्चों को आदेश दिया गया है कि वे अपने माता–पिता के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करें। यह बात क़ुरआन में कई जगह दुहराई गई है—(सूरह अल-बक़रा: 83, अन-निसा: 36, अल-अनआम: 151, अल-इसरा: 23, अल-अनकबूत: 8)

सूरह इसरा में तफ़्सील से बताया गया है कि अगर माता–पिता, या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो औलाद उन्हें "उफ़" तक न कहे, उन्हें झिड़क कर जवाब न दे, बल्कि सम्मान से बात करे, नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुकी रहे, और उनके लिए दुआ करती रहे।

अगर इन शिक्षाओं पर अमल किया जाए, तो बूढ़े मां–बाप कभी नज़रअंदाज़ नहीं होंगे और ओल्ड एज होम बनाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, जिनका आजकल दुनिया में प्रचलन बहुत बढ़ गया है।

सवाल 8 : मुस्लिम समाज में परिवारों की इस्लामी

पहचान कैसे मज़बूत की जा सकती है? क्या जमाअत इस्लामी हिंद इस दिशा में कोई ठोस योजना चला रही है?

मुस्लिम समाज में परिवारों की इस्लामी पहचान को किस प्रकार मज़बूत किया जा सकता है? क्या जमाअत इस्लामी हिन्द इस दिशा में कोई ठोस योजना चला रही है?

जवाब : ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम के परिवार सम्बन्धी मूल दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए— यह बताया जाए कि इस्लाम किस प्रकार का परिवार स्थापित करना चाहता है, तथा इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य के कौन–कौन से अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं। जब ये बातें लोगों के सामने साफ़ होंगी, तभी मुस्लिम समाज में परिवारों की इस्लामी पहचान सुदृढ़ हो सकेगी।

जमाअत इस्लामी हिन्द की ओर से इस संबंध में दो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक है निकाह से पहले समझ-बूझ का कोर्स (Pre-Marriage Counselling Course)। इस कोर्स से उन नौजवान लड़कों और लड़कियों को गुज़ारा जाता है जो निकाह की उम्र को पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी उनका निकाह नहीं हुआ है, या हाल ही में उनका निकाह हो चुका है। उनके सामने इस्लाम में निकाह के मक़सद, पति-पत्नी के अधिकार और दायित्व, ख़ुशगवार परिवार कैसे बनाया जाए, वैवाहिक और पारिवारिक झगड़ों का निपटारा कैसे किया जाए, जैसे मुद्दों पर उलमा, नफ़्सियाती तजुर्बेकारों और काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के लेक्चर कराए जाते हैं।

दूसरी योजना पारिवारिक समझौते का केंद्र (Post-Marriage Counselling Centre) का है। इसके तहत निकाह के बाद पति-पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच उभरने वाले झगड़ों को हल करने की कोशिश की जाती है।

अल्हम्दुलिल्लाह! ये दोनों योजनाएं कामयाबी के साथ चल रही हैं और इनके ज़रिए परिवारों में स्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

सवाल 9 : आज के नौजवानों को निकाह और पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में आप क्या पैग़ाम देना चाहेंगे?

जवाब : नौजवानों के लिए मेरा पैग़ाम यह है कि वे निकाह को दीन का एक फ़रीज़ा समझें और इबादत की हैसियत से उस पर अमल करें। परिवार को बनाने में उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। उनकी निगाह सिर्फ़ अपने अधिकारों पर न रहे, बल्कि क़ुरआन व हदीस में उनके जो दायित्व और ज़िम्मेदारियां बयान की गई हैं, वे ख़ुशी-ख़ुशी उनकी अदायगी करें। नौजवान लड़कों और नौजवान लड़कियों दोनों को मेरी नसीहत है कि वे परिवार में ख़ुशगवारी पैदा करें, परिवार के सदस्यों से उनके ताल्लुक़ात मुहब्बत और बनाव वाले हों, वे ख़ुद तकलीफ़ उठाकर दूसरे को राहत पहुंचाने की कोशिश करें, दूसरे से कोई कमी हो जाए तो माफ़ी और दरगुज़र से काम लें। इस तरह ख़ुशगवार और आपस में मुहब्बत करने वाला परिवार अस्तित्व में आएगा, जिससे वे ख़ुद भी राहत महसूस करेंगे। ■■

क़ियामत तक के लिए

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को क़ियामत तक के लिए पैग़म्बर बनाकर भेजा गया है। आपकी पैग़म्बरी किसी विशेष युग के लिए नहीं, बल्कि रहती दुनिया के लिए है। आपसे केवल आपके समकालीन ही नहीं, बल्कि क़ियामत तक के लोग लाभांवित होते रहेंगे। उन बदनसीबों की बात और है जो दिल की टेढ़ और पक्षपात, पूर्वाग्रह या किसी और नैतिक रोग के कारण आप (सल्ल०) के मार्गदर्शन को स्वीकार न करें और सदैव के लिए ईश्वर की रहमत से वंचित होकर रह जाएं। क़ुरआन में है–

"(ईश्वर ने उम्मियों में से रसूल भेजा) जो उन दूसरे लोगों को भी ज्ञान और तत्वदर्शिता की शिक्षा दे जो अभी (पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल० के) अनुयायियों से मिले नहीं हैं। (बल्कि वे भविष्य में पैदा होंगे और आपके अनुयायियों में शामिल होंगे।)" (क़ुरआन, 62:3)

इससे ज्ञात हुआ कि क़ियामत तक के सौभाग्यशाली लोग आप (सल्ल०) की पैग़म्बरी पर ईमान लाकर आपके मार्गदर्शन से लाभांवित होते रहेंगे। अगर आप (सल्ल०) का मार्गदर्शन क़ियामत तक के लिए पर्याप्त न होता तो फिर पैग़म्बरी का सिलसिला आप पर समाप्त न किया जाता।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष



हम भारत के लोग

❖सुफ़ियान अहमद

"हम भारत के लोग" यह सिर्फ़ हमारे संविधान की प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी का संकेत है, संविधान ने हमें अधिकार दिए, स्वतंत्रता दी और उसे मर्यादित रखने की ज़िम्मेदारी भी हमें ही दी। उसने समानता का वादा किया, पर उसे व्यवहार में उतारने का संघर्ष भी हमारे ही हिस्से रखा। संविधान स्वतंत्रता को जन-जन तक पहुंचाने का पथ प्रशस्त करता है, परंतु उस पथ की सार्थकता तो पथिकों यानी 'हम भारत के लोगों' पर निर्भर करती है। संविधान वंशानुगत सामंती-राजशाही के अंधेरों से निकाल ले जाने वाली लोक-पथ प्रदर्शक मशाल है, लेकिन यह मशाल हमें ही थामनी पड़ेगी।

हमारे संविधान निर्माताओं ने "मूल्य-आधारित" राजनीति का सपना देखा था, क्योंकि मूल्य-आधारित राजनीति के बिना संवैधानिक मूल्यों को साकार नहीं किया जा सकता है। आज चुनावों में उम्मीदवारों के चरित्र और सामाजिक छवि का आंकलन करना, मूल्य आधारित राजनीति की बात करना अपनी प्रासंगिकता खोता नज़र आ रहा है।

सवाल उठता है कि आम नागरिकों को मूल्य-आधारित राजनीति सुनिश्चित करने में क्या भूमिका निभानी चाहिए? इसका जवाब यह है कि हम नागरिकों को देश के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में सतर्क रहना चाहिए और राजनीति में किस तरह के लोगों को आना चाहिए इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। लोगों का नज़रिया बदलेगा तो राजनीतिक दल भी राजनीतिक सुधार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

'संवैधानिक मूल्य' किसी भी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं। हमारे निकट संवैधानिक मूल्यों से तात्पर्य स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के आदर्शों से है। ये मूल्य अपने वृहद परिप्रेक्ष्य में किसी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर मानक होते हैं जो उसे सर्वसमावेशी, न्यायिक एवं लोकतांत्रिक बनाते हैं। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन-दर्शन के रूप में स्थापित किया, जिसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में दिखती है और जिसे व्यापक रूप में संविधान के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है, ताकि हमारा गणतंत्र अपने वास्तविक लक्ष्यों को हासिल कर सके।

हमारे संविधान के उद्भव और विकास की यात्रा ख़ासी जटिल रही है। संविधान सभा में जब संविधान के स्वरूप पर बहस हो रही थी तो उसके निर्माताओं ने हमारे असमान सामाजिक ढांचे की जटिलता का संज्ञान लेते हुए उन्हें नागरिकों में हिलोरे ले रही आकांक्षाओं के साथ संबद्ध किया। यदि आप संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति

निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आदि का थोड़ी गहराई से अध्यन करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें व्यक्ति के साथ-साथ प्रकृति के प्रत्येक घटक के संरक्षण और संतुलन का भी सजग चिंतन निहित है।

हर देश का चरित्र कुछ न कुछ उनके संविधान में झलकता है। भारतीय संविधान में भारत का संस्कार बार-बार प्रकट हुआ है। यह बात अलग है कि व्यवस्था या शासन के स्तर पर यह उस रूप में मुखर नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। आज विश्व की मानक संस्थाओं द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक में भारत काफ़ी पिछड़ता जा रहा है। आज भारत दोषपूर्ण लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में शामिल है। वास्तव में बहुत कुछ ऐसा है जो गणतंत्र के रूप में हमें किसी भी स्तर पर संतुष्ट नहीं करता। जब तक यह स्थिति बदलती नहीं तब तक हम स्वयं को सफल गणतंत्र नहीं कह सकते।

यह बात सही है कि कोई भी ऐसा समय नहीं रहा और न होगा, जहां समाज में अर्थ सहित अन्य योग्यताओं के मामले में सभी व्यक्ति समान होंगे, लेकिन यह स्थिति भी नहीं होनी चाहिए कि एक प्रतिशत लोगों का 70 प्रतिशत से अधिक धन और संसाधनों पर क़ब्ज़ा हो। सफल गणतंत्र वही है जहां प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और गरिमामय जीवन जीने का वातावरण उपलब्ध हो। उसमें यह न देखना पड़े कि कौन कितना धनवान, शिक्षित, कितने ऊंचे पद तथा पहुंच वाला है। आज़ादी के बाद देश की अखंडता अवश्य बनी हुई है, लेकिन एकता नहीं। जब राजनीति विकृति का शिकार हो जाए तो फिर एकता ही नहीं 'तंत्र' में 'गण' की उपयुक्त गरिमा का पूरा लक्ष्य भी दुष्प्रभावित होता है।

दरअस्ल, भारतीय गणतंत्र को उसके मूल लक्ष्य यानी तंत्र में गण की महत्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए जिस दिशा की आवश्यकता थी उसमें कतिपय कारणों से भटकाव आया है। धर्म हमें हर क्षण मनुष्य के रूप में अपने लक्ष्य और दायित्व के प्रति सचेत करता रहता है, लेकिन आज देश की राजनीति में धर्म का दरुपयोग साफ़ तौर पर देखा जा सकता है।

धर्म की शिक्षा हमारे यहां मनुष्य को नैतिक तथा सृष्टि के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव पैदा करती है। यहीं से हर व्यक्ति के साथ प्रत्येक जीव के अंदर एक ही आत्मतत्व का बोध पैदा कर सबके साथ संवेदनशील संबंध की स्थापना करता

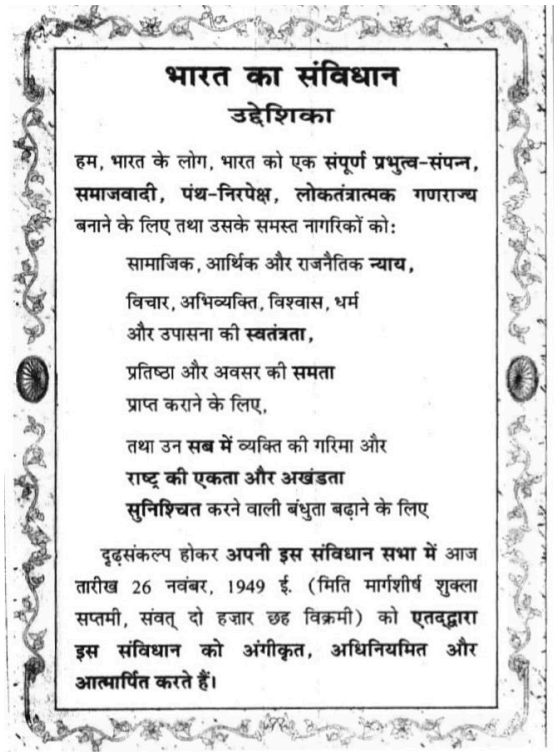

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता** **सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

है। इससे उत्पन्न दायित्व बोध के माहौल में तंत्र में व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा गरिमा विरुद्ध व्यवहार की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। यह धन संचय के साथ पद और प्रभाव की लिप्सा को भी संयमित करता है।

भारतीय संदर्भ में सेकुलरवाद यानी पंथनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का अधार्मिक होना क़तई नहीं। इसका अर्थ इतना ही है कि राज्य मज़हब या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तंत्र एवं संविधान के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो हमें बताते हैं कि हमसे चूकें हो रही हैं। इसे समझ कर इसके अनुरूप नीति निर्धारण, भूमिका और दिशानिर्देशों में तंत्र की सोच और व्यवहार को बदलें तो गणतंत्र का वास्तविक लक्ष्य हासिल हो सकता है तथा संविधान और व्यवस्था पर लोगों भरोसा बहाल हो सकता है।

उचित यह होगा कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि संविधान की उन ख़ामियों को दूर किया जाए जिनके चलते लोग उसके प्रति सच्चे मन से अपना विश्वास व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि संविधान के प्रति लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करना है तो विभिन्न स्तरों पर संवैधानिक मूल्यों की जो उपेक्षा हो रही है, उनके कारणों की पहचान कर उनका निवारण करना होगा। ■■

बदलती जीवनशैली और टूटते रिश्ते

आधुनिक युग में पारिवारिक मूल्यों की प्रासंगिकता

❖डॉ० मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी

जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें मानव सभ्यता अपनी तकनीकी उपलब्धियों के चरम पर पहुंच चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और तेज़-रफ़्तार जीवन ने दुनिया को हमारी उंगलियों के पोरों पर पहुंचा दिया है, लेकिन उसी अनुपात में इंसानी दिलों को एक-दूसरे से दूर भी कर दिया है। आधुनिकता ने हमारे जीवन की सुविधाएं तो बढ़ाई हैं, परंतु रिश्तों की गर्माहट, पारिवारिक संवाद और भावनात्मक स्थिरता को बहुत कमज़ोर कर दिया है। यह विडंबना ही है कि आज का मनुष्य अपनी व्यावसायिक सफलता के बावजूद भावनात्मक रूप से पहले से अधिक अकेला, तनावग्रस्त और असंतुलित दिखाई देता है।



इस पृष्ठभूमि में इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था—जो रहमत (करुणा), मुवद्दत (प्यार), सकीनत (शांति) और एहसान (उम्मीद से बढ़कर भलाई) पर आधारित है—एक संतुलित, शांतिमय और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ जीवन का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनकर सामने आती है। यह मॉडल न केवल पारिवारिक स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है।

'लिमिटलेस' के लेखक जिम क्विक कहते हैं: "Mental energy flows where attention goes." यानी मानसिक ऊर्जा उसी दिशा में बहती है, जहां ध्यान जाता है। इससे वास्तविक बीमारी का पता चलता है—हमारी ऊर्जा अब परिवार और रिश्तों पर ख़र्च नहीं हो रही है, बल्कि स्क्रीन, नोटिफिकेशन और डिजिटल गतिविधियों की भेंट चढ़ रही है। आश्चर्य तो इस बात पर है कि हम घर में रहते हैं, लेकिन घरवालों के साथ नहीं। हमारी आंखें घर वालों की ओर होती हैं पर ध्यान कहीं और। इसी ध्यान-विभाजन ने परिवारों की नींव को भीतर से खोखला कर दिया है।

क़ुरआन घर का उद्देश्य बयान करते हुए कहता है कि घर सुकून की जगह होती है, जहां आत्मा विश्राम पाती है, दिल शांत होता है, और इंसान अपने-आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता है। पति-पत्नी का जोड़ा बनाने का उद्देश्य बताते हुए कहा गया: "लितस्कुनू इलैहा"—ताकि तुम (एक-दूसरे के सानिध्य में) सुकून पा सको।

(सूरह रूम : 21)

आधुनिक जीवनशैली : रिश्तों का कमज़ोर होना

आज का समाज उपभोक्तावाद और करियर की तेज़ रफ़्तार में बुरी तरह उलझ चुका है। नौकरी, व्यापार, पदोन्नति, प्रतिस्पर्धा और 'आगे बढ़ने' की होड़ में इंसान घर को प्राथमिकता देने के बजाय नज़रअंदाज़ कर देता है। परिवार अब जीवन का केंद्र नहीं, बल्कि एक सहायक तत्व बनकर रह गया है। अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (उन पर शांति एवं अल्लाह की कृपा हो) का कथन है : "तुममें सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है।" (हदीस : तिर्मिज़ी)

यह हदीस बताती है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्यांकन उसकी घर के भीतर की भूमिका से होता है—न कि बाहर की उपलब्धियों से। जिम क्विक के शब्द इस हक़ीक़त को और

स्पष्ट करते हैं : "Busyness is not productivity." यानी व्यस्त होना, उपयोगी होना नहीं है। हम कार्यस्थल पर productive हो सकते हैं, जबकि परिवार में बिल्कुल unproductive. यही स्थिति पारिवारिक विघटन का बड़ा कारण है। दूसरी ओर, डिजिटल संसार ने रिश्तों की ज़मीन को और अधिक बंजर बना दिया है। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप ने हमारी ज़िंदगी को घेर रखा है। परिवार के सभी लोग एक ही कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी-अपनी स्क्रीन में गुम रहता है।

क़ुरआन (सूरह अल-अस्र) में समय की क़सम खाकर चेतावनी दी गई है कि इंसान घाटे में है—सिवाय उसके जो समय का सही उपयोग करे। डिजिटल उपस्थिति आज समय का सबसे बड़ा हत्यारा बन चुकी है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं:

• Digital Dementia (डिजिटल मनोभ्रंश) दिमाग़ को थका देता है।

• Digital Distraction (डिजिटल अन्यमनस्कता) ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम कर देती है।

• Virtual Presence/Physical Absence (आभासी उपस्थिति/शारीरिक अनुपस्थिति) रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। यानी हम घर में हैं, लेकिन अपने लोगों के बीच नहीं हैं। यही अनुपस्थिति परिवार की जड़ों को सुखा देती है।

आज का समाज उपभोक्तावाद और करियर की तेज़ रफ़्तार में बुरी तरह उलझ चुका है। नौकरी, व्यापार, पदोन्नति, प्रतिस्पर्धा और 'आगे बढ़ने' की होड़ में इंसान घर को प्राथमिकता देने के बजाय नज़रअंदाज़ कर देता है। परिवार अब जीवन का केंद्र नहीं, बल्कि एक सहायक तत्व बनकर रह गया है।

पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव से परिवार संस्था का टूटना भी रिश्तों की कमज़ोरी का बड़ा कारण है। परिवार, जो कभी प्रेम, ज्ञान और सामाजिक सहारे का स्तंभ हुआ करते थे, अब तेज़ी से टूट रहे हैं। बुज़ुर्गों की उपेक्षा आम होती जा रही है। क़ुरआन माता-पिता के बारे में आदेश देता है : "तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की उपासना न करो और मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों ही तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें 'उंह' तक न कहो और न उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे शिष्टतापूर्वक बात करो, और उनके आगे दयालुता से नम्रता की भुजाएं बिछाए रखो और कहो, "मेरे रब! जिस प्रकार उन्होंने बाल्यकाल में मुझे पाला है, तू भी उनपर दया कर।"

(अल-इसरा : 23-24)

वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि 'सार्थक सामाजिक संबंध' व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, भावनात्मक स्थिरता और जीवन-अवधि—तीनों को बढ़ाते हैं। यानी बुज़ुर्गों से दूरी का अर्थ प्रेम, ज्ञान और अनुभव से दूरी के साथ आयु का कम होना भी है।

संवाद का संकट : टूटते पारिवारिक संबंध

आज घरों में एक अजीब सन्नाटा है—लोग मौजूद हैं, पर बातचीत नहीं होती, कभी होती भी है तो सुनने का समय नहीं, समझने की इच्छा नहीं। ग़लतफ़हमियां बढ़ रही हैं क्योंकि हम एक-दूसरे की बातों को पूरा सुनने से पहले निष्कर्ष निकाल लेते हैं। रिश्तों में यह assumption bias (धारणा पूर्वाग्रह) सबसे ख़तरनाक चीज़ है। इस्लाम 'शूराइयत'—आपसी विमर्श—को पारिवारिक जीवन का अनिवार्य अंग क़रार देता है। शूराइयत का अर्थ यह नहीं है कि जब किसी बात पर निर्णय लेना हो तभी मिलकर सोचें, बल्कि इससे दिल जुड़ते हैं, शिकायतें सुनी जाती हैं, और सम्मानपूर्वक एक-दूसरे को समझा व समझाया जाता है। जिम क्विक इस बात को आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में समझाते हैं : "Effective communication requires presence, empathy and patience." यानी बातचीत तब सफल होती है जब हम मानसिक रूप से उपस्थित हों, दूसरे की भावनाओं को समझें और धैर्य से सुनें। दुर्भाग्य से आज यही तीन चीज़ें परिवारों से ग़ायब हैं।

इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था : संकट का सही समाधान

इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था तीन स्तरों पर समाधान प्रस्तुत करती है—व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक। इसके लिए वह निम्नलिखित तत्वों को अनिवार्य क़रार देती है:

रहमत (दया और करुणा)

घर में यदि रहमत समाप्त हो जाए तो कठोरता, तनाव और चिड़चिड़ापन पैदा होता है। हज़रत मुहम्मद (उन पर शांति

एवं अल्लाह की कृपा हो) ने कोमलता को ईमान का हिस्सा बताया है। मनोविज्ञान भी स्पष्ट कहता है कि भावनात्मक सुरक्षा के बिना कोई भी बच्चे या बड़े स्वस्थ रूप से मानसिक विकास नहीं कर सकते। जहां घर में आलोचना, अपमान या भय हो, वहां व्यक्तित्व विकसित नहीं होता, बल्कि सिकुड़ जाता है।

मुवद्दत (प्यार) और सकीनत (शांति)

क़ुरआन का मॉडल है—प्यार + रहमत + सुकून। यही तीन तत्व किसी भी परिवार को थामे रखते हैं। मनोचिकित्सक कहते हैं कि प्यार और अपनापन मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और मानसिक ऊर्जा को स्थिर बनाते हैं। जिन घरों में परस्पर प्यार होता है, उनमें जीवन की जटिलताएं भी कम होती हैं।

न्याय, ज़िम्मेदारी और नैतिक संतुलन

हदीस है : "तुममें से हर एक निगरां है।" यह निगरानी या देख-रेख की ज़िम्मेदारी भावनात्मक, नैतिक और व्यावहारिक—तीनों प्रकार की होती है। Responsibility = ability to respond wisely, यानी ज़िम्मेदार व्यक्ति समझदारी से प्रतिक्रिया देता है। आज प्रतियोगिता, क्रोध, तनाव और बेचैनी ने इस क्षमता को कमज़ोर कर दिया है। आवश्यक है कि परिवार में न्याय और संतुलन पुनः स्थापित किया जाए।

एहसान (उम्मीद से बढ़कर भलाई)

इस्लाम 'एहसान' की बात कहता है : सिर्फ़ फ़र्ज़ निभाने पर बस न करो—बल्कि उससे आगे बढ़कर भलाई करो। यही एहसान रिश्तों की आत्मा है—

- ग़लतियों को नज़रअंदाज़ करना और माफ़ करना,
- नरमी से बोलना, सख़्त लहजे से परहेज़ करना,
- सुलह की ओर पहले क़दम बढ़ाना,
- दूसरे की कमियों को समझना, फिर उन्हें दूर करने का प्रयास करना,
- शिकायत में अच्छाई का पहलू ढूंढ़ना।

मनोविज्ञान भी कहता है : "दयालुता से जुड़ाव बढ़ता है और दिमाग़ स्वच्छ होते हैं", यानी अच्छा व्यवहार मानसिक रोगों से रक्षा करता है।

तनक़ीद ब-ग़र्ज़-ए-इस्लाह (सुधार के लिए आलोचना)

परिवार के भीतर तनक़ीद ब-ग़र्ज़-ए-इस्लाह का उसूल इस्लामी आचार–संहिता का एक अनमोल हिस्सा है। आलोचना तब लाभदायक होती है जब वह दिल को तोड़े नहीं, बल्कि उसे संवारे; रिश्तों में ज़हर न घोले, बल्कि उनमें नई जान डाल दे। इस्लाम सिखाता है कि सलाह और सुधार नरमी, हिकमत और रहमत से होना चाहिए—क्योंकि कठोर शब्द दिलों पर उन घावों की तरह असर करते हैं जो दिखते नहीं लेकिन लंबे समय तक दर्द देते हैं। क़ुरआन हज़रत मुहम्मद (उन पर शांति एवं अल्लाह की कृपा हो) के चरित्र की विशेषता बताता है : "और अगर तुम सख़्त मिज़ाज होते, तो लोग तुम्हारे चारों ओर से छंट जाते।" पारिवारिक जीवन में यह उसूल और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पति–पत्नी, माता–पिता और बच्चों के बीच सुधारात्मक आलोचना तभी प्रभावी होती है जब उसमें तीन तत्व हों—पहला, नीयत का शुद्ध होना; दूसरा, लहजे की नरमी; और तीसरा, सामने वाले की इज़्ज़त का ख़याल। घर में आवाज़ ऊंची कर देना, ताने कसना या सार्वजनिक रूप से किसी की ग़लती को उछालना आलोचना नहीं, बल्कि अपमान है, जो दिलों को दूर कर देता है। इसके बजाए, प्यार भरी सलाह, निजी माहौल में प्रेम से की गई बातचीत और ग़लती को व्यक्ति से अलग समझने का अंदाज़, परिवार में भरोसा, अपनापन और नैतिक विकास को जन्म देता है। इस प्रकार तनक़ीद ब-ग़र्ज़-ए-इस्लाह परिवार को तोड़ती नहीं, बल्कि सहेजती है—और उसके भीतर रहमत, समझदारी और सुधार की एक नई रोशनी भर देती है।

बच्चों की तर्बियत : डिजिटल युग की चुनौती

इस्लाम बच्चों की तर्बियत (प्रशिक्षण) का आधार अख़लाक़ (नैतिकता), शुक्र, अदब (आदर) और ईमान को बनाता है। लेकिन आज स्क्रीन बच्चों के दिमाग़ को bio-chemical (जैव-रासायनिक) स्तर पर बदल रही है, फलस्वरूप :

- एकाग्रता में कमी,
- भावनात्मक धैर्य की कमज़ोरी,
- नींद में कमी,
- चिड़चिड़ापन।

बच्चे सुनते कम, देखते ज़्यादा हैं। इसलिए वे माता-पिता के व्यवहार से सीखते हैं, भाषणों से नहीं। उन्हें नसीहत से अधिक उदाहरण की ज़रूरत है। हज़रत मुहम्मद (उन पर शांति एवं अल्लाह की कृपा हो) का मॉडल—प्यार, संवाद, दुआ, सम्मान और प्रोत्साहन—आज भी बच्चों की तर्बियत का सबसे संतुलित, वैज्ञानिक और प्रभावी तरीक़ा है।

परिवार को समाज तक विस्तारित करने का इस्लामी मॉडल

इस्लाम परिवार को पति-पत्नी और बच्चों तक सीमित नहीं करता। रिश्तेदार, पड़ोसी, यतीम, मिस्कीन, मुसाफ़िर—ये सभी पारिवारिक वृत्त का हिस्सा हैं। आधुनिक वैज्ञानिक शोध कहते हैं :

• Social well-being enhances longevity (सामाजिक कल्याण दीर्घायु को बढ़ाता है)

• Community bonding improves mental health (समुदायिक संबंध होना मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है)

इस प्रकार सामाजिक सहयोग और रिश्तों का विस्तार जीवन को स्थिर और सकारात्मक बनाता है।

व्यावहारिक समाधान (Actionable Steps)

1. Digital De-tox Hours (डिजिटल ज़हर से दूरी के घंटे): रोज़ 1–2 घंटे घर में पूरा समय स्क्रीन से दूरी रखी जाए। इस दौरान इबादत, बातचीत, खेल, सैर (पिकनिक) या मिल-बैठकर समय बिताया जाए।



2. Family Communication Rituals: साप्ताहिक पारिवारिक मशविरा किया जाए, जहां हर सदस्य खुलकर बात कर सके और सभी ध्यान से सुनें—active listening, eye contact और validation के साथ।

3. Meal Together Strategy: हज़रत मुहम्मद (उन पर शांति एवं अल्लाह की कृपा हो) की सुन्नत के अनुसार परिवार के साथ भोजन किया जाए। शोध बताते हैं कि साथ भोजन करने से भावनात्मक बंधन गहरा होता है।

4. Joint Learning Sessions : परिवार के साथ क़ुरआन, किताबें या ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़ी जाए। वैज्ञानिक शोध कहते हैं : "Families that learn together, grow together." (जो परिवार साथ मिलकर सीखते हैं, साथ मिलकर बढ़ते हैं)

जब घर संवरता है, समाज निखरता है

आज रिश्तों, परिवार और समाज में जो टूटन, दूरियां और भावनात्मक रिक्तता दिखाई देती है, उसका सबसे सशक्त, सहज और टिकाऊ उपचार इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था में निहित है। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों यह स्वीकार करते हैं कि इंसान का मन उसी दिशा में खिलता है, जहां उसका ध्यान, संवेदना और समय समर्पित हो। यदि हमारा ध्यान परिवार की बजाय स्क्रीन, व्यस्तताओं और क्षणिक सुखों में डूबा रहे, तो घर अनिवार्य रूप से बिखर जाते हैं; लेकिन जब यही ध्यान संवाद, करुणा, विश्वास और सम्मान पर केंद्रित होता है, तो वही घर सुकून, प्रेम और परस्पर सद्भाव का नमूना बन जाते हैं।

इस्लाम के अनुसार घर वह पवित्र स्थान है जहां दिलों की धड़कनों का तालमेल बनता है, जहां करुणा बोई जाती है, जहां चरित्र की ख़ुशबू पनपती है, और जहां इंसानियत अपनी पहली सांस लेती है। जब घर संवरता है तो समाज अपने आप संवरने लगता है; जब दिलों में मुहब्बत आती है तो इंसानियत भी वहीं निवास करती है; और जब परिवार अपनी जड़ों पर फिर से मज़बूत खड़े होते हैं, तो राष्ट्र की इमारत भी सुदृढ़ और सुंदर हो जाती है।

जहां आधुनिक जीवन की चकाचौंध और शोर में दबकर पारिवारिक व्यवस्था दम तोड़ रही है वहीं रहमत, मुवद्दत, न्याय, संवाद, तर्बियत और संतुलन पर आधारित इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था आज भी उतनी ही जीवनदायी, उतनी ही शीतल और उतनी ही मार्गदर्शक है जितनी सदियों पहले थी।

यही वह रोशन चिराग़ है जो हमारे घरों को फिर से गर्माहट दे सकता है, हमारे दिलों को फिर से जोड़ सकता है, और हमारे समाज को फिर से मानवीय, शांत और सुंदर बना सकता है। ■■

सद्भावना

विश्व बंधुत्व की सार्वभौमिक अवधारणा

❖एस. कौसर लईक़

अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम् ॥
उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम ॥

(महोपनिषद् 6/71-72)

हिन्दू धर्म का आधार वेद, पुराण, उपनिषद्, ब्राह्मण, स्मृति इत्यादि ग्रंथ है। इन ग्रंथों में वेद का स्थान सर्वोपरि है। वेद चार हैं–ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के बाद जिन ग्रंथों का सर्वोपरि स्थान है, वह ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद् ग्रंथों का है। उपनिषद् ग्रंथों में एक उपनिषद् 'महोपनिषद्' है। इसी का मंत्र लेख के आरंभ में दिया गया है। यह उपनिषद् सामवेदीय परम्परा से है और एक महत्वपूर्ण उपनिषद् है। यह शुकदेव जी एवं महाराज जनक तथा महर्षि ऋभु एवं उनके पुत्र निदाघ के मध्य प्रश्नोत्तर के रूप में अस्तित्व में आई है। इसमें ईश्वर के अद्वितीय और एक अकेला शक्तिमान होने के विवेचन के पश्चात् सृष्टि के आरंभ में क्या था और सृष्टि का आरम्भ कैसे हुआ, मोक्ष की स्थिति, दृश्यजगत् का मिथ्यात्व, अहंभाव का त्याग, ज्ञानी-पुरुषों की उपासना-पद्धति, अज्ञानियों की दुखद स्थिति, उदारता, उच्च और निम्न (अधम) पुरुषों के गुण आदि पर प्रकाश डाला गया है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति कैसा व्यवहार करे और मानवजाति किस रीति से दुख एवं विषाद को प्राप्त नहीं होती इस संदर्भ में महर्षि ऋभु ने निदाघ से कहा गया है–

"हे पुत्र, जो मनुष्य नित्य प्राप्त कर्मों को करता है, शत्रु और मित्र को सम्यक् (समान) दृष्टि से देखता है और इच्छा-अनिच्छा से मुक्ति प्राप्त कर चुका है, न विषाद करता है, न किसी भी तरह की वस्तुएं पाने की आकांक्षा करता है, मृदुभाषी (मीठी बोली बोलता) है। प्रश्नों के पूछने पर नम्रतापूर्वक उत्तर देता है तथा समस्त प्राणियों के भावों को जानने में सक्षम है वह मनुष्य इस विश्व में विषाद (दुख व उदासी) को प्राप्त नहीं होता।" (महो. 6/64-65)

इस संसार में किस प्रकार रहा जाए, इस संदर्भ में महर्षि ऋभु अपने तपस्वी बेटे निदाघ को समझाते हुए कहते हैं–

"(आवश्यकता पड़ने पर) बाह्य वृत्ति (कार्यों) से बनावटी क्रोध का अभिनय करते हुए एवं हृदय से क्रोधरहित, बाहर से कर्त्ता एवं अन्दर से अकर्त्ता बने रहकर शुद्धभाव से जगत् में सर्वत्र रमण करो। अहं (मैं कुछ हूं अर्थात अभिमान) को त्याग कर शांत-चित्त हो, कलंक रूपी कालिमा (कालिख) से सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। आकाश के समान शुद्ध-परिष्कृत जीवन प्राप्त करके पवित्र सद्बुद्धि को धारण करके लोक (जगत्) में विचरण करो।" (महो. 6/68-69)

अर्थात् नसीहत की गई कि आवश्यकता पड़ने पर यदि किसी पर क्रोध करने की ज़रूरत पेश आए तो क्रोधाग्नि में न जल उठना और न ही क्रोध अन्दर से होना चाहिए, बल्कि वह मात्र दिखावे का क्रोध होना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक ऐसा दोष है कि लोग इसके वशीभूत होकर नीति और सुआचरण को भूल जाते हैं। इसी प्रकार कोई भी कार्य करने में बाह्य रूप से तुम कार्य करने वाले दिखाई तो दो, लेकिन इसका ध्यान रखो कि वास्तविक कार्य करने वाला कर्त्ता ईश्वर है। अतः किसी भी कार्य में तुम अहंकार या अभिमान न करना। आगे और कहा कि हर व्यक्ति–

"उदार एवं उत्तम आचरण से सम्पन्न, सभी श्रेष्ठ आचार-विचारों को अनुगमन करते हुए अन्दर से आसक्ति-रहित होते हुए भी बाहर से सदैव प्रयत्न करता रहे। अंतःकरण में पूरी तरह से वैराग्य को धारण करते हुए बाहर से आशावादी बनकर श्रेष्ठ व्यवहार करे।" (महो. 6/70-71)

अन्ततः अपने पुत्र के माध्यम से महर्षि ऋभु मानवजाति पर स्पष्ट करते हैं कि संकीर्ण बुद्धि एवं तुच्छ व्यक्ति की सोच और विशालहृदय एवं उदारचेता व्यक्ति के विचार किस प्रकार के होते हैं। कहा–

अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

(महो. 6/71-72)

"यह मेरा अपना है और वह नहीं है, ऐसे निकृष्ट विचार तुच्छ (अधम) मनुष्यों के होते हैं। उदार चरितवालों (अर्थात्

विशालहृदय रखने वालों) के लिए तो समस्त वसुधा ही अपना परिवार है।"

महर्षि ऋभु की यह शिक्षा कि 'समस्त वसुधा (पृथ्वी) ही अपना परिवार है, अर्थात् पृथ्वी पर बसने वाला हर व्यक्ति अपने परिवार, अपने कुटुम्ब का है–हमारे भारत की उदारता के संदर्भ में हमारी विचारधारा और दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। इसके साथ ही बताती है कि उदारता और विशालहृदय रखने वालों की सोच क्या और कैसी होनी चाहिए। व्यापक भाव-स्वरूप कह सकते हैं कि महान् शीलवान और सद्गुणी लोग अत्यंत उदारचेता और कुशादादिल होते हैं। उनके लिए समस्त मानवजाति अपने कुटुम्ब और परिवार के समान होती है। वे प्रत्येक व्यक्ति की तकलीफ़ और कष्ट को ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा कि अपने सगे भाई की पीड़ा को अपनी पीड़ा।

इसके साथ ही यह मंत्र बताता है कि तुच्छ, निकृष्ट, नीच और अधम व्यक्तियों का एक प्रमुख लक्षण यह है कि वे किसी को अपना तो किसी को पराया समझते हैं। वे किसी मासूम के पीड़ित होने पर दुखी होते हैं तो किसी के पीड़ित होने पर जश्न मनाते हैं। उनके अन्दर मानवजाति के विभाजन के उनके अपने मनगढ़ंत आधार होते है। उनमें उनके अपने निहित स्वार्थ, तुच्छ विचारधारा और वर्ण-जाति व धन-दौलत आदि होते हैं और कुछ नहीं तो क्षेत्रीयता ही उनके पक्षपात और भेद-भाव की बुनियाद बन जाती है।

उपनिषद् की इस शिक्षा के प्रकाश में हम उन लोगों के प्रति कि वे किस श्रेणी में हैं, निर्णय ले सकते हैं, जो लोग नियंत्रण रेखाएं (Line of Control) खींचकर और उस रेखा-परिधि के अन्दर के लोगों के प्रति मात्र या अपनी एक स्वनिर्मित विचारधारा के मानने वालों के प्रति ही अपनी हमदर्दी और आत्मीयता, मित्रभाव और शुभ-चिंतन रखते हैं और शेष को शत्रु, अनात्मीय, अनिजक, पराया और ग़ैर समझते हैं।

अतः लोगों को बांटने वाले और मानजाति में भेदभाव पैदा करने वाले इस उपनिषद् की शिक्षा की दृष्टि में निहायत तुच्छ, नीच और निकृष्ट श्रेणी के लोग होते हैं।

महाभारत की दृष्टि में जो लोग परस्पर भेद-भाव रखते हैं वे न ही धर्माचारी होते हैं और न ही सुखी रहते हैं और न ही ऐसे लोगों को कभी सच्चा गौरव प्राप्त हो सकता है। अन्ततः इन फूट एवं भेद डालने वालों का भाग्य विनाश ही होता है। नीतिज्ञ विदुर महाराज घृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं–

न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्म,
न वै सुखं प्राप्नुवन्तीह भिन्नाः ।
न वै भिन्ना गौरवं प्राप्नुवन्ति,
न वै भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ।।
न वै तेषां स्वदते पथ्यमुक्तं,
योगक्षेमं कल्पते नैव तेषाम् ।
भिन्नानां वै मनुजेन्द्र परायणं,
न विद्यते किंचिदन्यद् विनाशात् ।।

(उद्योग 36/56-57)

अर्थात् "जो परस्पर भेदभाव रखते हैं, वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते। वे सुख भी नहीं पाते। उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा उन्हें शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती । हित की बात भी कही जाए तो उन्हें (भेद पैदा करने वाले लोगों को) अच्छी नहीं लगती। उनके योगक्षेम की भी सिद्धि नहीं हो पाती। राजन् ! भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है।"

बाइबल में भी मानव-मानव से प्रेम एवं मुहब्बत रखे, इसकी ताकीद की गई है और कहा गया है कि जिसके हृदय में मानव-प्रेम नहीं, वह ईश्वर को जानता ही नहीं। यूहन्ना अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए जनसामान्य से कहते हैं–

"हे प्रियो! हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता (अर्थात् क्रूर है), वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।"

(1 यूहन्ना 4/7-8)

"मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक-दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक-दूसरे से प्रेम रखो।" (यूहन्ना 13/34)

बाइबल में एक और स्थान पर कहा गया है कि मनुष्य के हृदय में यदि प्रेम नहीं है और वह नेक कर्म करता है तो उसके सभी भले कर्म निरर्थक हैं और वह देखने में कितना ही भला क्यों न नज़र आए, मगर वह भला नहीं माना जाएगा। कहा गया–

"यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों (फ़रिश्तों) की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यद्वाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझें और मुझे यहां

तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परन्तु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं।"

(बाइबल, 1 कुरिन्थियो 13/1-3)

अर्थात् प्रेम-विहीन हृदय होने पर व्यक्ति कितना ही नेक कर्म क्यों न करता रहे, सब कुछ निरर्थक है।

जिसके हृदय में मानव एवं ईश्वर-प्रेम बस जाता है, तो प्रेम उस पर कैसा प्रभाव डालता है और प्रेम का स्वरूप क्या है? बाइबल कहती है–

"प्रेम धीरजवन्त है, और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और न फूलता (यानी घमण्ड नहीं करता)। वह अनरीति नहीं चला, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनन्दित नहीं होता, परन्तु सत्य से आनन्दित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है।"

(1 कुरिन्थियो 13/4-7)

अतः जिसके हृदय में प्रेम होता है तो वह धैर्यवान, कृपालु, ईर्ष्याहीन, अभिमानहीन, निरहंकारी, सुपथगामी, कोमलस्वभाव वाला, नर्महृदय और सहनशील होगा। वह लोगों के कटु वचन बोलने पर भी क्रोध में आकर प्रतिशोध लेने वाला नहीं होता। वह दुष्ट एवं बुरे लोगों के साथ भी सद्व्यवहार करता है।

उपकार करने वाले के साथ उपकार करना, सद्व्यवहार अपनाने वाले के साथ सद्व्यवहार अपनाना मनुष्य का एक साधारण गुण है। यह पशुओं में भी पाया जाता है कि जिससे प्रेम से पेश आया जाए तो वह भी दुम हिलाता है। उत्तम प्रकृति एवं उच्च मानवीय गुण यह है कि जो हमारे साथ अपकार और दुष्टता अपनाए उसके साथ भी अवसर आने पर उपकार की नीति अपनाएं, उसके साथ भी उसके हितकारी कार्य करें, तभी उच्च प्रकार की मनुष्यता हमारे अन्दर होने का प्रमाण होगा। किसी ने क्या सुन्दर कहा है–

उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः ।
अपकारिषुः यः साधुः स साधु सद्भिरुच्यते ॥

अर्थात् "जो उपकारी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसकी अच्छाई का क्या अर्थ । सच्चा उपकारी वही कहलाता है जो अपने अपकारी (दुष्टता का व्यवहार अपनाने वाले) के साथ भी सद्व्यवहार करे।" महाभारत में भी कहा गया है–

एतावान् पुरुषस्तान कृतं यस्मिन् न नश्यति।
यावच्च कुर्यादन्योसस्य कुर्यादभ्यधिकं ततः ॥

(महाभारत 1/156/14)

अर्थात् "जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला चुकाए बिना नष्ट नहीं होता, वही पुरुष है (और इतना ही उसका पौरुष अर्थात् मानवता है कि) दूसरा मनुष्य उसके प्रति जितना उपकार करे, वह उससे भी अधिक उस मनुष्य का प्रत्युपकार कर दे।"

जब मनुष्य अपने अन्दर दूसरे के प्रति आत्मीयता और अपना होने का भाव पैदा कर लेता है, तो उसके हृदय में स्वभावतः दूसरे के प्रति उपकार, भलाई, हितचिंतन और परमार्थ व कल्याण एवं करुणा की भावना जाग उठती है। इसी लिए उपनिषद्कार ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के चिन्तन को विशालहृदयता, उच्चमनस्कता, शुद्धचित्तता और सौहार्द्र का पर्याय और 'अयं बन्धुरयं नेति गणना' ("यह मेरा है, वह मेरा नहीं — इस तरह की गिनती/भेद-भाव…") को अत्यन्त तुच्छता और अधम होने का प्रमाण कहा। अतः हमें चाहिए कि यदि हमारे अन्दर ऐसी फूट डालने की भावना, लोगों की एकता और प्रेम को भंग करने का गुण पाया जाता हो तो उसका परित्याग करें और अपने मानव होने का प्रमाण दें और हर उस आचरण एवं व्यवहार को अपनाएं जिससे लोगों में घनिष्टता, संयुक्तता, जुड़ाव, यकदिली, मेल-जोल और एक-दूसरे से अभिन्न होने का गुण और प्रेम पैदा हो। हमें जानना चाहिए कि मज़बूत और सुदृढ़ मूल का वृक्ष भी यदि अकेला होता है तो आंधी क्षणभर में सहज ही उसकी शाखाओं सहित उसे धराशायी कर देती है और इसके विपरीत जब बहुत-से वृक्ष एक साथ होते हैं तो वे एक-दूसरे के सहारे बड़ी-से-बड़ी आंधी का भी मुक़ाबला कर लेते हैं। आओ हम एक-दूसरे के प्रति अपनी भावना व्यक्त करें–

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग्भवेत् ॥

अर्थात् "सभी सुखी रहें, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बनें और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े।" ईश्वर इस दिशा में हमारी मदद करे। ■■

एक अपील , एक ऐलान और तआरुफ़

आपकी ख़ुसूसी तवज्जह का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना, गया

38 साल की ख़िदमात



कैफ़ीयते-क़ियाम : इदारा का तीन यतीम लड़कियों से 21 दिसम्बर 1986 को एक किराया के खपरैल मकान में क़ियाम अमल में आया था।

हिन्दुस्तान की रियासत बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में अपने तर्ज़ की पहली और वाहिद इक़ामती (Residential) तालीमगाह जो इस्लामी और असरी उलूम का संगम होने की वजह से मशहूर है। • इदारा बुनियाद के दिन से ही सही इस्लामी ख़ुतूत पर यतीम के साथ-साथ ग़रीब और ग़ैर-यतीम तालिबात की तालीमी व तर्बीयती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। • यहां की तालिबात को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में पहले और दूसरे साल में बाआसानी दाख़िला मिल जाता है। • शोबा-ए-हिफ़्ज़ की तालिबा को भी हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक तक पढ़ाया जाता है। • पांच ज़ुबानों में क़ुरआन और इस्लामियात और बिहार बोर्ड के निसाबे-तालीम के साथ मेयारी तालीम का नज़्म है। • **तालीमी साल** अप्रैल ता मार्च, • इदारा के अहाता (Campus) में ही पर्दे में रहकर नर्सरी से मैट्रिक तक की तालीम, होम साइंस, सिलाई-कटाई, मेहंदी व पेंटिंग और कम्प्यूटर की तालीम वग़ैरा दी जाती है। इसके लिए बच्चियों को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता। **तालीमी मराहिल** • इब्तिदाई •सानवी • आला • फ़ासलाती तालीम • शोबा हिफ़्ज़ **यतीम तालिबात की तादाद** 75 **नोट** यतीम तालिबात का सारा ख़र्च, तआम व क़ियाम वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त है। **बैरूनी तालिबात की तादाद** अपने ख़र्च पर दारुल अक़ामा (Boarding) में रहकर तालीम हासिल करने वाली और दूसरे गांव से पढ़कर जाने वाली लगभग 100 हैं। **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का सालाना ख़र्च पच्चीस हज़ार रुपये (Rs. 25,000) है। आप भी एक यतीम बच्ची की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेकर सवाब में शरीक हों। **असातिज़ा, मुअल्लिमात और दीगर मुलाज़िमीन की तादाद** 33 तदरीसी और ग़ैर-तदरीसी स्टाफ़ की एक माह की तनख़्वाह एक लाख पच्चास हज़ार रुपये (Rs.1,50,000) से ज़्यादा है। **सालाना ख़र्च** तक़रीबन चालीस लाख रुपये (Rs. 40,00,000)। **ज़रिया आमदनी** मुस्लिम अवाम के चंदे **अपील** आज के माद्दापरस्ताना और जदीद दौर में लड़कियों के लिए जदीद और मुकम्मल इस्लामी तर्ज़े-तालीम के साथ रिहाइशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर ज़रूरत है। • आप इस महंगाई को देखते हुए और रमज़ान के मुबारक मौक़ा पर इदारे की नन्ही-मुन्नी मासूम यतीम बच्चियों को ऊंचा उठाने के लिए अपने • ज़कात • अतियात • सदक़ात से भरपूर माली मदद करें ताकि वे तालीम और हुनर के मैदान में आगे बढ़ सकें और किसी से पीछे न रहें। • बाक़ी तामीरी व तालीमी मन्सूबों को पूरा करने के लिए रक़म की फ़ौरी ज़रूरत है। • इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना भरपूर माली तआवुन का मुंतज़िर है। **याद रखें** यह लड़कियों का इदारा है। यहां चंदा वसूल करने वालों की बहुत कमी है। यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन पर चंदा वसूल नहीं किया करता है।

नोट : इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी फ़िल्म (Documentary Film) नज़रे-इनायत You Tube (Nazr-e-Enayeth) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ यह लिखें : THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGAE

बराए राबिता चैक व ड्राफ़्ट और मनीआर्डर भेजने का पता

Founder & Hon. G. Secretary, THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE, At • : Kolowna, P.o : Cherki-824237, Distt : Gaya (Bihar) India

Email : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.Com, Mobile : 8969435151, Website : www.gmgo.in

: Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE
(Bank A/C No. : 300402010007752 (ज़कात
(Bank A/C No. : 300402010009846 (डोनेशन
Bank IFSC Code No : UBIN0530042
Bank : UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें : बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए मेहरबानी स्कैन एंड पै (Scan & Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) नाम व पता सहित व्हाट्स एप कर दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

व्हाट्स एप नम्बर 7367909126 बानी व इज़ाज़ी जनरल सेक्रेट्री इकबाल अहमद ख़ां 9934480190

पटना ब्रांच ऑफ़िस : पटना शहर के हमदर्द अपना चैक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता करें।

जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां (सद्र) समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9934943229

जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां, समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9631867066

शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य

❖**जावेद अनवर** (टोरांटो, कनाडा)

शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य "हमारे रब, हमें इस दुनिया में अच्छाई दे और आख़िरत (परलोक) में भी अच्छाई दे, और हमें आग (जहन्नम) की सज़ा से बचा ले।" (क़ुरआन, 2:201)

क़ुरआन की इस दुआ से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम के दृष्टिकोण से केवल वही शिक्षा प्रणाली वैध है जो इस जीवन और आख़िरत दोनों में अच्छाई (हसनात) लाती है। यह मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि, "शिक्षा प्रणाली पूरी तरह हमारे जीवन के उद्देश्य के मुताबिक़ होनी चाहिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? क़ुरआन इसे इस तरह स्पष्ट करता है–"मैंने तो जिन्नों और इनसानों को केवल इसलिए पैदा किया है कि वे मेरी इबादत (आज्ञाकारिता) करें।" (क़ुरआन, 51:56)

इसका मतलब है कि हमारे रचयिता और पालनहार अपनी श्रेष्ठ रचना (इंसानों) को उसी तरह अपनी आज्ञाकारिता में देखना चाहते हैं जैसे उनकी अन्य सभी रचनाएं उनकी आज्ञाकारिता के लिए प्रोग्राम की गई हैं–"और आकाशों और धरती में जितने भी जीवधारी हैं वे सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं और फ़रिश्ते भी; और वे घमंड बिल्कुल नहीं करते। अपने ऊपर से अपने रब का डर रखते हैं और जो उन्हें आदेश होता है, वही करते हैं।" (क़ुरआन, 16:49-50)

अतः शिक्षा का उद्देश्य यह है कि मनुष्य ईश्वर का मार्गानुगामी और आज्ञाकारी बने, जिसके लिए आदर्श और रोल मॉडल अल्लाह के रसूल, मुहम्मद (सल्ल०) हैं। अल्लाह कहता है–"निस्संदेह तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक उत्तम आदर्श है।" (क़ुरआन, 33:21)

दूसरी जगह अल्लाह मुहम्मद (सल्ल०) को सम्बोधित करते हुए कहता है–"निस्संदेह तुम एक महान नैतिकता के शिखर पर हो।" (क़ुरआन, 68:4)

ख़ुद पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने भी कहा, "मैं एक पैग़म्बर के रूप में भेजा गया हूं ताकि सर्वोत्तम चरित्र के गुणों को सिखाऊं।" (बुख़ारी-अल-अदब अल-मुफ़रद, हदीस-273, मुवत्ता इमाम मालिक, किताब 47 (अच्छा चरित्र), हदीस 8)

इसलिए, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों में "सर्वोत्तम चरित्र" को स्पष्ट रूप से स्थापित करना है। मनुष्य धरती पर अल्लाह के ख़लीफ़ा (प्रतिनिधि) के रूप में काम करता है–"और याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि "मैं धरती में (मनुष्य को) ख़लीफ़ा (सत्ताधारी) बनाने वाला हूं।" (क़ुरआन, 2:30)

एक ख़लीफ़ा (प्रतिनिधि/viceroy) को प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए, उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित, ज्ञानी और बुद्धिमान होना चाहिए। क़ुरआन सभी के लिए शिक्षा के महत्व पर ज़ोर देता है। पहले इंसान, आदम (अलैहिस्सलाम), को ज्ञान और बुद्धिमत्ता के साथ बनाया गया था, जो मानवजाति को फ़रिश्तों से ऊपर उठाता है–

उसने (अल्लाह ने) आदम को सारे नाम सिखाए, फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया और कहा, "अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ।" (क़ुरआन, 2:31)

यह आयत न केवल इस्लाम के आध्यात्मिक मार्ग को बल्कि ज्ञान की खोज को, जिसमें भौतिक और सांसारिक ज्ञान-विज्ञान शामिल हैं, उजागर करती है। विज्ञान और तकनीक भी अल्लाह द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान है, जैसा कि पैग़म्बर हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) के मामले में देखने को मिलता है–"और हमने उसके (दाऊद के) लिए लोहे को नर्म कर दिया। (निर्देश देते हुए) कि पूरी लंबाई का कवच बनाओ और कड़ियों को ठीक अंदाज़े से जोड़ो। और तुम अच्छा कर्म करो। निस्संदेह जो कुछ तुम करते हो उसे मैं देखता हूं।" (क़ुरआन, 34:10-11)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर उतरने वाली पहली आयत शुरू होती है–"पढ़ो, अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया।" (क़ुरआन, 96:1)

इस्लामी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य लोगों में उत्कृष्ट चरित्र विकसित करना है। क़ुरआन आगे एक रसूल के मिशन

का वर्णन करता है–"ऐ हमारे रब! उनमें उन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए और उनको किताब और तत्वदर्शिता की शिक्षा दे और उन (की आत्मा) को विकसित करे। निस्संदेह तू प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी है।"

(क़ुरआन, 2:129)

सर्वोत्तम चरित्र वाले, ईमान वालों का जीवन-लक्ष्य बताते हुए क़ुरआन में अल्लाह कहता है–"ये वे लोग हैं कि यदि धरती में हम उन्हें सत्ता प्रदान करें तो वे नमाज़ का आयोजन करेंगे और ज़कात देंगे और भलाई का आदेश करेंगे और बुराई से रोकेंगे। और सब मामलों का अन्तिम परिणाम अल्लाह ही के हाथ में है।" (क़ुरआन, 22:41)

ज्ञान की खोज मुसलमानों का एक मौलिक दायित्व है, जिसकी पुष्टि कई हदीसों (पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल० के कथन) से होती है। इस्लाम में, शिक्षा केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है।

पश्चिम जगत शिक्षा को भौतिक लाभ और भौतिक विकास के साधन के रूप में देखता है, जबकि इस्लाम इसे अस्तित्व के लिए आवश्यक और गरिमा का स्रोत मानता है। आदम (अलैहिस्सलाम) के ज्ञान के आधार पर ही क़ुरआन फ़रिश्तों पर उनकी श्रेष्ठता को स्थापित करता है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) और उनके अनुयायियों ने एक शैक्षिक आंदोलन की शुरुआत की, इतिहास में पहली बार एक अनिवार्य शिक्षा प्रणाली स्थापित की गई।

अल्लाह के संदेश को फैलाने के लिए, इस्लाम ने सार्वजनिक सम्बोधन, सामाजिक संवाद और परामर्श (नसीहत) पर बल दिया। इससे एक औपचारिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, ताकि जनता में ज्ञान और विद्या का संचार हो।

इस्लाम के शुरुआती दिनों में ही पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) द्वारा मक्का में पहला मदरसा, दारुल अरक़म, स्थापित किया गया था। यह वो समय था जब मुसलमानों पर गंभीर उत्पीड़न हो रहा था। फिर मदीना में इस्लाम की स्थापना के बाद, शैक्षिक संस्थान, 'सुफ़्फ़ा' की स्थापना हुई, जिसमें पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) और उनके पुराने सहाबा शिक्षक थे और मुहाजिरीन (प्रवासी) और अंसार (स्थानीय) छात्र थे।

बद्र की लड़ाई में मुसलमानों की जीत हुई और दुश्मनों के कई लोग युद्धबंदी बना लिए गए। उसके बाद पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने घोषणा की कि जो भी शिक्षित युद्धबंदी दस मुसलमानों को पढ़ना-लिखना सिखाएगा, उसे मुक्त कर दिया जाएगा। यह अनोखा विनिमय—क़ैदियों को दूसरों को शिक्षित करने के बदले में मुक्त करना—मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु/अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) के ख़लीफ़ा काल के दौरान, हर विजित क्षेत्र में एक गवर्नर और जज के साथ एक शिक्षक नियुक्त किया जाता था। उमर (रज़ि०) ने सुनिश्चित किया कि छात्रों को औपचारिक (पाठ्यक्रम) और अनौपचारिक (ग़ैर-पाठ्यक्रम) दोनों प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो, और उन्होंने समाज में नैतिक चरित्र के विकास के लिए प्रशिक्षकों को तैनात किया।

उमैया काल (661-750) में शैक्षिक नीतियां कमज़ोर हुई और शिक्षा के स्तर में गिरावट देखी गई। फिर ख़लीफ़ा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (680–720) ने उसे यह कहते हुए पुनर्जीवित किया, "अल्लाह ने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) को कर संग्राहक के रूप में नहीं बल्कि लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में भेजा है।"

इस्लामी शिक्षा प्रणाली सार्वभौमिक है, जो जातीय, नस्लीय, राष्ट्रीय या सांप्रदायिक सीमाओं से परे है। यह तीन सिद्धांतों पर आधारित है :

- सृष्टिकर्ता की एकता
- सृष्टि की एकता (मानवता)
- क़ियामत के दिन की जवाबदेही

ये सिद्धांत इस्लामी शिक्षा को समुदायों, राष्ट्रों और समय से बहुत ऊंचा उठाते हैं, सीखने के कार्य को इबादत बनाते हैं। इस प्रणाली में, कक्षाएं वे स्थान बन जाती हैं जहां छात्र और शिक्षक आध्यात्मिक भक्ति में शरीक होते हैं।

पेशेवर या भौतिक लाभों पर केंद्रित पश्चिमी शिक्षा प्रणालियों के विपरीत, इस्लामी शिक्षा नैतिक और आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देती है। यह दृष्टिकोण शांति, प्रेम, सम्मान, भाईचारा, सद्भाव, दयालुता, उदारता, आत्म-नियंत्रण, उदारता और सत्य की स्वीकृति का वातावरण पैदा करता है।

इस दुनिया और आख़िरत दोनों में सफलता का लक्ष्य रखते हुए, इस्लामी शिक्षा नफ़रत, स्वार्थ, असम्मान और कट्टरता को समाप्त करती है, शांति, प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देती है। ■■

लघुकथा

नाम रह गया पीछे

❖सुफ़ियान अहमद

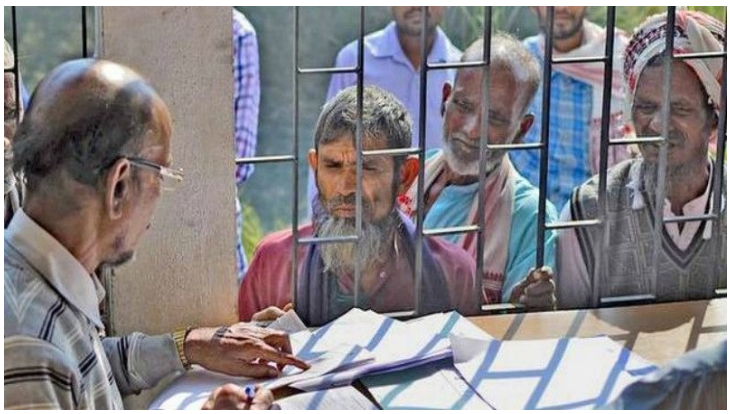

ब्रह्मपुत्र नदी की धाराएं इस बार कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई थीं। बाढ़ आई, और फिर लोग बह गए—कुछ नाव में, कुछ ख़बरों में, और कुछ बस ख़ामोशी में।

असम के एक सुदूर गांव "धुबरी" में जब पानी उतरा, तो सब कुछ बहा हुआ मिला — छप्पर, चूल्हा और कुछ नाम।

नाम, जो अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की सूची में नहीं थे।

एक बूढ़ा व्यक्ति हर दिन की तरह आज भी वही कर रहा था — ज़िला दफ़्तर के बाहर लगी सूची को देखना, जैसे उसमें अपनी परछाईं ढूंढ़ रहा हो।

उसका नाम था—शहीद अली।

"मैं यहीं जन्मा था। मेरे अब्बा की क़ब्र यहीं है, मेरा निकाह यहीं हुआ, मेरे बच्चे यहीं बड़े हुए हैं।"

पर सूची में उसका नाम नहीं था।

बेटे ने समझाया–

"अब्बा, दस्तावेज़ नहीं मिल रहे। दादी का मतदाता पहचान पत्र 1971 से पहले का चाहिए।"

शहीद अली ने गांव की मस्जिद के पुराने मौलवी से पूछा–

"क्या उस जनाज़े की तस्वीर अब भी है, जिसमें अब्बू को दफ़नाया था?"

मौलवी ने आंखें झुका लीं–

"क़ब्रें पहचान नहीं देतीं शहीद भाई…अब तो सिर्फ़ काग़ज़ पहचान देते हैं।"

सरकारी सुनवाई में शहीद अली पेश हुआ।

अधिकारी ने पूछा–

"आप कैसे साबित करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं?"

उसने जेब से एक मुड़ी हुई पुरानी नोटबुक निकाली — उसमें उसकी बीवी के हाथ की लिखावट थी। कुछ ख़त थे, जिनमें बच्चे की बीमारी का ज़िक्र था, कुछ नामों के आगे देसी दवा की मात्रा दर्ज थी।

"यह मेरी ज़िंदगी है साहब…पर शायद यह 'दस्तावेज़' नहीं है?"

अधिकारी ने सिर हिला दिया–

"नहीं। यह व्यक्तिगत सामग्री है। मान्य नहीं।"

जब सूची की अंतिम सुनवाई हुई, तो शहीद अली "विदेशी" घोषित कर दिया गया।

उसे गोलपाड़ा डिटेंशन सेंटर भेजा गया — वहां उसकी तरह और लोग थे—कुछ बंगाली बोलते, कुछ भोजपुरी और कुछ ख़ामोशी।

सबके पास यादें थीं। पर सबके नाम, कहीं पीछे छूट गए थे।

डिटेंशन सेंटर की एक दीवार पर वह अपनी उंगली से एक नाम लिखता रहता था–

"शहीद अली — नागरिक, किसान, पिता, पति..."

कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई–

डिटेंशन सेंटर में। गुमनाम।

मौत के प्रमाण-पत्र में लिखा था–

"Unverified Identity – No Nationality"

शहीद अली जैसे किरदार अब भारत के लोकतांत्रिक परदे के दृश्य पर नहीं, पर हाशिए पर ज़िन्दा हैं। वे 'गुमनाम' नहीं हैं, पर 'अमान्य' हैं। ■■

कहानी

मां

❖अशफ़ाक़ अहमद

एक आदमी था, नाम था निसार। बहुत अमीर हो गया था। बंगला बना लिया, कार ख़रीद ली, बीवी को गहने पहनाए, बच्चों को महंगे स्कूल में डाल दिया, मगर उसकी मां गांव की एक झोपड़ी में रहती थी।

निसार कभी-कभार मां से मिलने जाता तो मां कहती: "बेटा, मुझे शहर ले चल। अकेलेपन में मर जाऊंगी।"

निसार हंस देता : "अम्मा! आपको क्या मालूम शहर की ज़िंदगी क्या होती है!" मां चुप हो जाती।

कुछ समय बाद मां बीमार पड़ गई। निसार ने बड़े-बड़े डॉक्टरों को गांव बुलाया, दवाइयां मंगवाईं, लेकिन मां ने सब लौटा दिया और कहा : "बेटा! मुझे तेरी गोद चाहिए...तेरा साया चाहिए...तेरे बच्चों का शोर चाहिए। दवाई नहीं...मां का बेटा चाहिए।"

निसार ने फ़ौरन बंगले में मां के लिए अलग कमरा बनवाया, नौकरानियां रखीं। मां शहर आ गई। शुरू-शुरू में सब ख़ुश थे। धीरे-धीरे बीवी को तकलीफ़ होने लगी कि सास हर समय बैठक में बैठी रहती हैं, क़ुरआन पढ़ती रहती हैं, तस्बीह फेरती हैं। बच्चों को भी लगा कि दादी उनकी आज़ादी में रुकावट हैं।

एक दिन निसार की बीवी ने कह दिया : "यह बूढ़ी औरत हमारे मॉडर्न घर में बिल्कुल फिट नहीं बैठी।"

निसार चुप रहा। रात को वह मां के कमरे में गया। मां जाग रही थी। निसार ने मां के पैर दबाए और रोने लगा : "अम्मा! मैंने आपको अपने आराम के लिए यहां लाया था, मगर आप यहां भी अकेली हैं। मुझे माफ़ कर दें।"

मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्करा कर बोली: "बेटा! मां घर की रहमत होती है, सामान नहीं कि जहां जगह हो वहां रख दिया जाए। मां को बेटे के दिल में जगह चाहिए, बंगले में, कमरे में नहीं।"

अगली सुबह निसार ने बीवी और बच्चों को जमा किया और कहा : "आज से यह घर मेरी मां के हुक्म से चलेगा। जो मेरी मां को दुख देगा, वह मेरी नज़र से गिर जाएगा।"

उस दिन के बाद घर का नक़्शा ही बदल गया। बच्चे मां के पैर दबाते, बीवी अपने हाथ से पानी देती और निसार हर जुमेरात को मां को लेकर क़रीबी मस्जिद में दर्से-क़ुरआन सुनने जाता।

कुछ समय बाद एक पड़ोसी ने पूछा : "तुम्हारा कारोबार पहले से भी ज़्यादा कैसे चमक रहा है?" निसार ने मां की ओर इशारा किया जो आंगन में बच्चों को क़ुरआन सुना रही थी और धीरे से बोला : "मां घर में हो तो रहमत दरवाज़े पर दस्तक देती है। मां को इज़्ज़त दोगे तो अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त देगा।"

यही इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था है। मां ज़िंदा हो या अल्लाह के पास पहुंच चुकी हो, उसकी दुआ ही घर को जन्नत बनाती है।

यह कहानी अशफ़ाक़ अहमद की किताब "कुछ तो है" में शामिल है और रेडियो-टीवी पर भी कई बार सुनाई जा चुकी है। ■■

चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है,
मैंने जन्नत तो नहीं देखी है मां देखी है।

•••

ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया,
मां ने आंखें खोल दीं घर में उजाला हो गया।

•••

'मुनव्वर' मां के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना
जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती।

–मुनव्वर राणा

महिलाओं के अधिकार और पारिवारिक न्याय

❖डॉ. ख़ान मुबश्शिरा फ़िरदौस

यदि कोई व्यक्ति इस्लामी इतिहास का अध्ययन करना चाहे और कल्पना करे कि वह आज के समय की किसी ऊंची चोटी पर खड़ा होकर एक दर्शक की तरह अतीत और भविष्य को ध्यान से देख रहा है, तो उसे यह समझने में आसानी होगी कि इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद स्त्री के अस्तित्व को किस रूप में स्वीकार किया गया, और वर्तमान युग में स्त्री अधिकारों की स्थिति को समझना भी सहज हो जाएगा। इस धरती पर बिना किसी भेदभाव के स्त्री की जो सुदृढ़ और सम्मानजनक हैसियत दिखाई देती है, वह केवल इस्लामी दौर में ही स्पष्ट रूप से स्थापित हुई।

इस्लाम से पहले की स्थिति को यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वह ग़ुलाम से भी बदतर थी। इस्लाम के बाद "ईमान वाले पुरुष और ईमान वाली स्त्रियां एक-दूसरे के सहायक और संरक्षक हैं" की सुंदर तस्वीर सामने आती है। वहीं पश्चिमी क्रांति के बाद अधिकारों और सामाजिक हैसियत को तय करने की प्रक्रिया में स्त्री स्वयं भी मानसिक उलझन का शिकार दिखाई देती है और पुरुष उसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करता हुआ नज़र आता है। आधुनिक भौतिकतावादी संस्कृति ने स्त्री को इस व्यवस्था का हिस्सा बना दिया, ताकि कॉरपोरेट संस्कृति उसे अपने उपयोग में ला सके।

यदि निष्पक्षता और सच्चाई के साथ देखा जाए तो हर समझदार व्यक्ति न केवल समझ सकता है बल्कि साफ़ देख भी सकता है कि इस्लाम ही वह एकमात्र धर्म और जीवन व्यवस्था है जिसने स्त्री को दुनिया में पूर्ण मानवीय दर्जा दिया और उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। इस्लाम को यह विशेष सम्मान प्राप्त है कि वह दुनिया की एकमात्र ईश्वरीय व्यवस्था है जिसने स्त्री को उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण अधिकार, सम्मान और क़ानूनी सुरक्षा प्रदान की। अज्ञानता के दौर में स्त्रियों को ज़िंदा दफ़न करना, उन्हें विरासत से वंचित रखना, उन्हें ख़रीदी-बेची जाने वाली वस्तु बनाना और विवाह के बाद अत्याचार का निशाना बनाना आम बात थी, लेकिन इस्लाम ने स्त्री अधिकारों का एक क्रांतिकारी घोषणापत्र प्रस्तुत किया।

"और हमने आदम की संतान को सम्मान दिया।"

(क़ुरआन, 17:70)

अर्थात् अल्लाह ने पूरी मानवता को, पुरुष और स्त्री दोनों को, सम्मान दिया। पुरुष और स्त्री की समानता को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है–

"पुरुषों के लिए भी उनके कर्मों का हिस्सा है और स्त्रियों के लिए भी उनके कर्मों का हिस्सा है।" (क़ुरआन, 4:32)

प्रयास और कर्म के विषय में अल्लाह ने दोनों के लिए न्यायपूर्ण पुरस्कार निर्धारित किया और परिवार में भी न्याय की बुनियाद पर दोनों के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों का बंटवारा किया। इसे समझने के लिए निकाह की प्रक्रिया को समझिए, किसी स्त्री का निकाह उसकी इच्छा के बिना नहीं किया जा सकता। इस्लाम में निकाह केवल स्त्री की सहमति से ही मान्य है। यह अधिकार क़ुरआन और हदीस दोनों से प्रमाणित है। जहां पुरुष-प्रधान समाजों में स्त्री को ख़रीदी-बेची जाने वाली वस्तु समझा जाता था और उसकी इच्छा जानने का प्रश्न ही नहीं उठता था, वहीं आज के दौर में पसंद की आज़ादी के नाम पर बिना निकाह के संबंध बनाने और अधिकार जताने को प्रोत्साहन दिया जाता है।

इस्लाम में स्त्री की सहमति के बिना निकाह सही नहीं है। यह आदेश न्याय, सम्मान और मानवीय गरिमा पर आधारित है। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया–"लड़की का निकाह उसकी अनुमति के बिना न किया जाए।"

जब सहाबा ने पूछा कि उसकी अनुमति कैसे जानी जाए, तो आपने फ़रमाया—उसकी ख़ामोशी ही उसकी अनुमति है।

एक लड़की पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के पास आई और बताया कि उसके पिता ने ज़बरदस्ती उसका निकाह कर दिया है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने उसका निकाह रद्द कर दिया। (हदीस : बुख़ारी-5138)

विभिन्न इमामों के विचार जानने से भी यही स्पष्ट होता है–

इमाम मालिक (रह.) के अनुसार स्त्री की अनुमति के बिना निकाह अमान्य है।

इमाम शाफ़ई (रह.) के अनुसार भी निकाह में लड़की की अनुमति आवश्यक है, अभिभावक का कार्य केवल सहायक का है।

हनफ़ी मत में भी अनुमति और निकाह दोनों आवश्यक हैं, यदि अभिभावक न हो तो क़ाज़ी को अधिकार है।

अभिभावक की ज़िम्मेदारी यह स्पष्ट की गई है कि उसका उद्देश्य स्त्री पर ज़ोर डालना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना है, लेकिन यहां यह बात भी समझनी चाहिए कि आज बहुत-सी लड़कियां अपनी पसंद के रिश्ते को लेकर सवाल करती हैं कि माता-पिता क्यों रोक देते हैं। इसका उत्तर यह है कि भावनाओं में बहकर जो ख़तरा लड़की को दिखाई नहीं देता, वह उसके अभिभावक की अनुभवी दृष्टि पहचान लेती है और संरक्षण के लिए उसे सावधान करना उनकी ज़िम्मेदारी होती है।

भरण-पोषण का अधिकार

स्त्री के भोजन, निवास, वस्त्र और इलाज का ख़र्च पति पर अनिवार्य है। पुरुष को अल्लाह ने परिवार का संरक्षक बनाया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह शासक या तानाशाह हो गया। यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। अक्सर पुरुष इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि वे स्त्री के मह्र, दहेज,विरासत और यहां तक कि उसकी कमाई पर भी अधिकार रखते हैं, जबकि यह सोच ग़लत है।

"संरक्षक" का अर्थ ज़िम्मेदारी है, शासन नहीं। पुरुष इसलिए संरक्षक बनाए गए हैं, क्योंकि वे आर्थिक भार उठाते हैं, मह्र अदा करते हैं और घर की बुनियादी आवश्यकताओं की ज़िम्मेदारी निभाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि स्त्री कमतर है, बल्कि अल्लाह ने इस व्यवस्था के ज़रिए पति-पत्नी के बीच प्रेम, दया और करुणा की भावना को स्थापित किया।

इस्लाम में स्त्री के सम्मान का इतना ध्यान रखा गया कि उसे अपने पालन-पोषण की भी ज़िम्मेदारी नहीं दी गई। विवाह से पहले उसके ख़र्च का दायित्व उसके अभिभावक पर होता है और विवाह के बाद उसके पति पर। यदि कोई स्त्री मजबूरी या इच्छा से कमाने निकलती है, तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है, शरीअत की ओर से उस पर कोई बाध्यता नहीं है।

इसलिए तलाक़शुदा या विधवा स्त्री अपने निकाह का निर्णय स्वयं कर सकती है। न उसे ज़बरदस्ती रोका जा सकता है और न उस पर विवाह के लिए दबाव डाला जा सकता है। क़ुरआन का स्पष्ट आदेश है–"स्त्रियों को निकाह से मत रोको।" (क़ुरआन, 2:232)

मह्र और संपत्ति का अधिकार

मह्र (वह राशि या वस्तु जो विवाह के समय स्त्री के सम्मान और अधिकार के रूप में तय की जाती है।) स्त्री का व्यक्तिगत अधिकार है। अल्लाह ने पुरुष को आदेश दिया है कि वह स्त्री को मह्र ख़ुशी से दे। मह्र पति की ओर से दिया गया पहला उपहार होता है, जिससे दो अजनबियों के बीच प्रेम और अपनापन पैदा होता है। मह्र पूरी तरह स्त्री की संपत्ति है, उसे उससे ज़बरदस्ती वापस नहीं लिया जा सकता। शरीअत ने मह्र की कोईनिश्चित सीमा तय नहीं की—सोना, चांदी, धन, आभूषण, ज़मीन सब कुछ मह्र हो सकता है।

तलाक़ और स्त्री के अधिकार

निकाह केवल शारीरिक संबंध नहीं बल्कि एक पारिवारिक, सामाजिक और आत्मिक संबंध है, लेकिन जैसे हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, वैसे ही कभी-कभी पति-पत्नी के बीच तालमेल संभव नहीं हो पाता। ऐसे में इस्लाम ने दोनों को अलग होने का अधिकार दिया है। पुरुष तलाक़ दे सकता है और स्त्री को "ख़ुलाअ" का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा पति स्त्री को तलाक़ का अधिकार भी सौंप सकता है।

शिक्षा, व्यापार और सामाजिक सहभागिता

इस्लाम में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूरी आज़ादी है, वे कोई भी कला या हुनर सीख सकती हैं। मुस्लिम महिलाएं व्यापार भी कर सकती हैं। वे अपनी संपत्ति अपने नाम पर रख सकती हैं और अपनी पूंजी को व्यापार में लगा भी सकती हैं। धार्मिक मर्यादाओं के भीतर वे सामाजिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।

लेकिन यह भी एक विडम्बना है कि मुस्लिम समाज दुनिया के सामने इन अधिकारों को व्यवहार में उतार कर उस तरह प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसा कि इस्लाम ने स्त्रियों को दिये हैं। इसलिए हम विरोधियों और आलोचकों को मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति पर सवाल उठाते या आपत्ति करते हुए देखते हैं। ■■

मंथन

आभासी दुनिया के वास्तविक जोखिम

❖संपादन प्रभाग

डिजिटल युग ने मनुष्य को अपने समय का सबसे बड़ा वरदान दिया, लेकिन इसी वरदान के पीछे एक छलपूर्ण अभिशाप भी छिपा है। स्क्रीन पर चमकती रोशनी, गेम में विजयी होने का रोमांच, एक झटके में धन कमाने का लालच और आभासी मंचों पर मिलने वाली त्वरित प्रशंसा—ये सब मनुष्य के दिमाग़ में वही रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए पारंपरिक मादक पदार्थों को ज़िम्मेदार माना जाता है। यह डिजिटल नशा हमारी ही जेब में, हमारे ही सिरहाने, हमारी ही अध्ययन मेज़ पर मौजूद होता है।

जानकारों का कहना है कि डिजिटल लत, गेमिंग, ऑनलाइन जुए या सोशल मीडिया के "रिवार्ड सिस्टम" से मस्तिष्क में वही न्यूरोकेमिकल मार्ग सक्रिय होते हैं, जो पारंपरिक मादक पदार्थों (जैसे ड्रग्स, शराब आदि) में सक्रिय होते हैं, विशेषकर डोपामिन (dopamine) रिवार्ड सर्किट। इंटरनेट को प्रगति का प्रतीक मानने वाला समाज, आज इसी के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ दिखाई देता है।

अभिभावक बच्चों को मोबाइल इसलिए देते हैं कि पढ़ाई, क्लास, असाइनमेंट और टेस्ट की तैयारी आसानी से संभव हो सके, लेकिन स्क्रीन के उस पार जो दुनिया पल-पल उन्हें निगल रही है, वह इतनी सजी-धजी, इतनी आकर्षक और ऐसा छलावा है कि उसमें प्रवेश करने वाला युवक अपना वास्तविक संसार भूलकर एक ऐसी खाई में गिरता चला जाता है, जिसका तल लगभग असीम है। यह समस्या केवल तकनीक की नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृति और सामाजिक नियंत्रण की भी है।

अभी हाल में केरल में डिजिटल तरीक़े से नशे के एक नए रूप का पता चला है। इसमें नौजवानों से लेकर उम्रदराज़ लोग तक शामिल हैं। यह एक नई 'डिजिटल लत' है। ऑनलाइन ऐसे खेल शुरू किए गए हैं, जिनमें एक रात में वारे-न्यारे करने की बात होती है। शुरू-शुरू में इन खेलों का प्रचार करने के लिए बड़ी हस्तियों को लाया गया। मगर जब बात खुली तो उन पर क़ानूनी शिकंजा कसा गया।

ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म एक विशेष मनोवैज्ञानिक रणनीति पर चलते हैं—पहला दौर आसान जीत, दूसरा दौर तेज़ लाभ, तीसरे दौर में कमाई का भ्रम और चौथे में हार की ऐसी शृंखला जिसके बाद खिलाड़ी इससे उबर नहीं पाता बल्कि 'वापस पाने' की जिद्दो-जेहद में और गहराई में उतरता चला जाता है। यही जुए की लत का डिजिटल संस्करण है।

बेशक ऑनलाइन शिक्षा के ज़रिए विद्यार्थियों के पास पढ़ाई का कारगर विकल्प है। अभिभावक समझते हैं कि बच्चे आनलाइन पढ़ाई में व्यस्त हैं। मगर बच्चे तो ऐसे आभासी खेलों में लगे हुए हैं कि जिसमें वारे-न्यारे तो कम होते हैं, उल्टे इसमें सब गंवाने के बाद वे अवसाद में चले जाते हैं। अब तो आत्महत्या की ख़बरें भी आने लगी हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है।

केरल पूर्ण शिक्षित राज्यों में से एक है। वहां डिजिटल साक्षरता भी स्वाभाविक रूप से ज़्यादा है। मगर वहां भी स्थिति बिगड़ रही है। ऐसा नहीं कि ऐसी ख़बरें दिल्ली या पंजाब से नहीं आतीं, लेकिन केरल में बड़े पैमाने पर डिजिटल लत बढ़ रही है। मनोवैज्ञानिक जब इस लत के शिकार बच्चों से बात करते हैं, तो उन्हें उबारने में कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक सप्ताह में काफ़ी पैसे मिलने का लोभ उन पर बुरी तरह हावी रहता है।

इस 'थोड़े प्रयास–तेज़ मुनाफ़ा' मॉडल ने युवा मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय कर दिया है जो डोपामिन से नियंत्रित होता है। छोटे-छोटे 'रिवॉर्ड प्वाइंट', 'विन स्ट्रीक', 'नेक्स्ट बटन', 'रैंक अप'—ये सब उसी जैव-रासायनिक तंत्र को सक्रिय करते हैं, जिसे पहले शराब, तम्बाकू, अफ़ीम या कोकीन सक्रिय करते थे। अंतर केवल इतना है कि डिजिटल नशा बिना गंध, बिना शर्म के फैलता है।

ऐसे में इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि इस जाल को किस तरह तोड़ा जाए। यह डिजिटल खेल नशे की लत की तरह गहरा होता है। इसके लिए 'इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट' ज़रूरी है। इस लत के स्तर का पता कर इससे ग्रस्त युवाओं को रचनात्मक विकल्प देकर उन्हें उबारने की

कोशिश की जा सकती है।

समस्या का पहला चरण पहचान है। किसी के लिए यह कहना कि वह डिजिटल नशे का शिकार हो गया है, बहुत कठिन है। हर व्यक्ति मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की डिजिटल ताक़त पर सरकार भी गर्व करती है। अब इसी ताक़त के बूते हम 5जी से 6जी की यात्रा तय कर रहे हैं। इसके साथ ही कृत्रिम मेधा की नई दुनिया भी नौजवानों के सामने खुल रही है। इस साइबर दुनिया में वे काले कारोबार की अंतरराष्ट्रीय मंडियों से भी जुड़ जाते हैं। फिर उनके लोभ की सीमा बढ़ जाती है।

युवाओं के सामने इस 'आभासी पूंजीवादी फ्रंटियर' ने एक भ्रम खड़ा कर दिया है कि मेहनत का ज़माना ख़त्म हो गया और तेज़ धन वहीं है जहां रिस्क सबसे बड़ा है। डिजिटल खेल इसका सबसे आसान प्रवेश-द्वार बन गए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस नशे में केवल हारने वाले ही नहीं, शुरुआती जीतने वाले भी फंस जाते हैं। वे अपना अनुभव दूसरों को बताते हैं, अपने मित्रों को जोड़ते हैं और धीरे-धीरे पूरा सामाजिक समूह इस लत का शिकार हो जाता है।

देश में अब यह डिजिटल लत एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। कैसे इन युवाओं को इस नशे की लत से बाहर निकाला जाए, यह एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि आभासी मंचों का जाल इस तरह से हमारे समाज में फैल गया है कि किसी को डिजिटल नशे से ग्रस्त कहना बहुत कठिन है।

दूसरी ओर, जब नौजवान कुछ ख़तरनाक डिजिटल खेलों को खेलते हैं, तो प्रायः हार जाने पर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसे युवा तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे में हमें समस्या की तह में जाना होगा। केवल परंपरागत नशे को ही देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाला मान लेना, यथार्थ से आंखें मूंद लेने जैसा है।

लिहाज़ा नशे के हर रूप और उसके हर स्तर से देश को निपटना होगा। चरस, गांजा और हेरोइन से लेकर अवैध शराब तक, जिनका दुष्प्रभाव हमें अक्सर पढ़ने, देखने और सुनने को मिल जाता है। यह तो ख़तरनाक है ही, लेकिन डिजिटल नशा भी इनसे कम ख़तरनाक नहीं है। इससे बड़ी संख्या में युवा प्रभावित हो रहे हैं।

माता-पिता बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई पर भरोसा कर लेते हैं और दूसरी ओर बच्चे अपनी बर्बादी की राह पर चल रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ने-लिखने की अब क्या ज़रूरत, जब वे इन डिजिटल खेलों से अपनी जेबें भर सकते हैं।

अस्ल में पढ़ाई और इंटरनेट के इस्तेमाल में संतुलन बहुत ज़रूरी है। इस संतुलन के लिए बच्चों के साथ अभिभावकों का भी मार्गदर्शन आवश्यक है। इसके साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र डाटा प्राइवेसी और नियमन का है। डिजिटल खेल कंपनियां बच्चों के व्यवहार के आंकड़े जमा करती हैं—वे कब लॉग-इन करते हैं, कब हारते हैं, कहां क्लिक करते हैं, किस पुरस्कार पर अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। यह आंकड़ा स्वयं एक हथियार बन जाता है, जो नशे की लत को और गहरा करता है।

यह वही मनोवैज्ञानिक युद्धनीति है जो सोशल मीडिया कंपनियों ने लाइक्स, शेयर और नोटिफिकेशंस के माध्यम से पहले से स्थापित कर रखी है।

इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। ऐसे नशा मुक्ति केंद्र खोलने चाहिए जहां डिजिटल खेल से सभी को आगाह किया जाए, युवाओं को असलियत समझाई जाए। यह इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इस समस्या के बेक़ाबू होने से युवा पीढ़ी को इससे बचाना और कठिन हो जाएगा।

डिजिटल लत केवल एक व्यक्तिगत कमज़ोरी नहीं—यह सामाजिक दुर्बलता, शैक्षिक असंतुलन और तकनीकी पूंजीवाद का घातक सम्मिलन है। यदि हम इसे केवल नैतिक चेतावनी या माता-पिता की निगरानी भर समझते रहे, तो यह हमारे क़ाबू से बाहर हो जाएगा।

यह वह समय है जब समाज को नशे की परिभाषा को विस्तारित करना होगा—शराब, सिगरेट, चरस, गांजा या हेरोइन के साथ-साथ इसमें डिजिटल नशे का भी नाम जोड़ना होगा।

युवाओं को इससे बचाने का अर्थ केवल गेमिंग ऐप हटाना नहीं है, बल्कि उनके सामने वास्तविकता, कौशल, श्रम और दीर्घकालिक सफलता के विकल्प भी रखना होगा। यदि समाज, सरकार और अभिभावक मिलकर इस चुनौती को नहीं पहचानेंगे, तो यह डिजिटल पीढ़ी न केवल अपनी अकादमिक क्षमता खो देगी, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संतुलन और जीवन की दिशा भी खो देगी। यदि हम आज चेत गये, तो कल पछतावे की आशंका बहुत कम हो सकती है। ■■

मानवता

दिल कहता है सबको चाहूं, सबको प्यार करूं,
फूल बिछाऊं मैं राहों में कभी न कांटेदार करूं।

मानव बन्दे एक ख़ुदा के, सब हैं भाई-भाई,
कैसे उनको लूटूं-मारूं, कैसे उन पर वार करूं।

धोखा देना महापाप है, वह भी अपने भाई को,
नरक मिले आगे जीवन में, न ऐसा व्यवहार करूं।

किस मुंह से मैं मानववादी और सबका हितकारी,
भाई को ही लूटूं खाऊं और उस पर प्रहार करूं।

छोड़ अकेला मुझको दुनिया औरों को भरमाएगी,
सत्य-कर्म ही साथी अपना, क्यों न उससे प्यार करूं।

पूरब-पश्चिम मुंह करने से, मैं नेक नहीं बन जाऊंगा,
रब को मानूं, रब की मानूं और अच्छा व्यवहार करूं।

रात और दिन हो सबकी चिंता, बाक़र मेरे जीवन में,
कभी लुटे न कोई पड़ोसी, ऐसा पहरेदार बनूं।

–बाक़र अली

सर्वे भवन्तु सुखिनः (सब सुखी रहें)

वेदों की प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः
मेरी भी ये दुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः

कितना महान नारा है सत्यमेव जयते
कितनी बड़ी सदा है सर्वे भवन्तु सुखिनः

मेरी नज़र में यारो वो आदमी बड़ा है
जिसने भी ये कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः

इंसानियत की ख़ातिर जिसने जहां बनाया
वो भी तो चाहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः

तारीफ़ कीजिएगा अपने 'ज़हीर' की जो
अरदास कर रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः

–ज़हीर ललितपुरी

"भलाई और बुराई समान नहीं है। तुम (बुरे आचरण की बुराई को) अच्छे से अच्छे आचरण के द्वारा दूर करो। फिर क्या देखोगे कि वही व्यक्ति, तुम्हारे और जिसके बीच वैर पड़ा हुआ था, जैसे वह कोई घनिष्ठ मित्र है।"

(क़ुरआन, 41:34)



A Well Wisher

Ania Khan
Mapusa, Goa

पर्यावरण

यह केवल दिल्ली की समस्या नहीं

सांस का संकट



राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अपनी ज़हरीली हवा की वजह से एक बार फिर सुर्ख़ियों में है। यह कहानी हर साल सर्दियों में लौटती है—हवा स्थिर, धुंध घनी और प्रदूषण का स्तर भयावह। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सिर्फ़ एक नंबर नहीं है; यह बताता है कि हम जो सांस लेते हैं, वह कितनी दूषित है और कुछ घंटों या दिनों के भीतर हमारी सेहत पर क्या असर डाल सकती है। फ़िलहाल, राजधानी की हवा "सीवियर-प्लस" रेंज में है—ऐसा स्तर जिसमें सांस लेना अपने आप में एक ख़तरा बन जाता है। दिल्ली और इसके आस-पास रहने वाले कुछ लोग इसे "नॉर्मल" मान चुके हैं, कुछ इसका विरोध करते हैं, लेकिन बहस के शोर में हम एक सच को लगातार नज़रअंदाज़ कर रहे हैं—यह सिर्फ़ दिल्ली की समस्या नहीं है, यह पूरे भारत का संकट है।

सबसे पहले समझना होगा कि मीडिया सुर्ख़ियों का फोकस दिल्ली ही क्यों है। वजह यह नहीं कि दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। अस्ल वजह है—डेटा। दिल्ली में मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा है।

सबसे पहले समझना होगा कि मीडिया सुर्ख़ियों का फोकस दिल्ली ही क्यों है। वजह यह नहीं कि दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। अस्ल वजह है—डेटा। दिल्ली में मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा है।

दिसंबर 2022 में संसद में केंद्र सरकार ने बताया कि लगभग दो करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 40 एयर क्वालिटी स्टेशन हैं। इसके उलट पूरे महाराष्ट्र, जिसकी आबादी दिल्ली से छह गुना अधिक है, सिर्फ़ 41 स्टेशन हैं। बिहार जिसमें 12.7 करोड़ लोग रहते हैं, वहां 35 स्टेशन हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां की आबादी दिल्ली से आठ गुना अधिक है, वहां भी उससे कम मॉनिटर हैं। यही कारण है कि कानपुर, लखनऊ या वाराणसी जैसे शहर, जो अक्सर वैश्विक स्तर पर 'सबसे प्रदूषित' रैंकिंग में दिल्ली से आगे होते हैं, राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान उतना नहीं खींचते। बीते दिनों बुलंदशहर का AQI 500 पार कर गया था, लेकिन यह सुर्ख़ी नहीं बनी। क्योंकि हमारे पास हवा के बारे में उतना डेटा ही नहीं, जितना दिल्ली के बारे में है। अन्य स्थानों के बारे में हम जानते भी नहीं कि कितने लोग रोज़ कितनी ज़हरीली हवा अंदर ले रहे हैं, और इसका भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है।

भारत का राजनीतिक वर्ग भी इस संकट को उस गंभीरता से नहीं देखता, जैसी ज़रूरत है। चुनावी घोषणा-पत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण कभी प्राथमिकता नहीं बना। हर वर्ष

सर्दियों में कुछ औपचारिक क़दम, जैसे सीएनजी बसें बढ़ाना, ऑड-ईवन योजना, या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चलाए जाते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है और हवा थोड़ी साफ़ होती है, ये उपाय हवा में उड़ जाते हैं।

यूनिसेफ, UNEP और विश्व बैंक की साझेदारी में चल रही बहुपक्षीय पहल—ChilDReSS Environmental Health Collaborative—चेतावनी देती है कि बच्चे प्रदूषण के प्रति वयस्कों से कहीं ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। नुक़सान गर्भ में ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान मां के वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से समय से पहले जन्म का जोखिम बढ़ता है, नवजात का वज़न कम होता है, शुरुआती मृत्यु दर बढ़ती है और विकास संबंधी समस्याएं भविष्य तक पीछा करती हैं। जन्म के बाद भी स्थिति और भयावह होती है। बच्चा एक वयस्क से तेज़ सांस लेता है, ज़्यादा समय बाहर बिताता है, सड़क की धूल, गाड़ियों के धुएं और धात्विक कणों के सीधा संपर्क में रहता है। साथ ही उसका फेफड़ा, प्रतिरक्षा तंत्र और दिमाग़ अभी विकसित हो रहा होता है, ऐसे में थोड़ी-सी भी बाधा बहुत बड़ा नुक़सान बन जाती है।

छोटे बच्चे जब बार-बार गंदी हवा लेते हैं, तो उनके फेफड़ों की नलियां (airways) संकुचित हो जाती हैं। वृद्धि रुक जाती है, अस्थमा का जोखिम बढ़ जाता है, सीखने का वक्र (learning curve) धीमा हो जाता है। बच्चे जितनी देर गंदी हवा में सांस लेते हैं, उनका मस्तिष्क सीखने और सोचने में उतना कमज़ोर होता है।

यह सच्चाई प्रायः छुपी रहती है। हम प्रदूषण के बारे में बात करते हैं—खांसी, आंख जलना, घुटन, लेकिन अस्ल क़ीमत कहीं अधिक है—वह है पीढ़ीगत बौद्धिक घाटा। यह उस भारत की त्रासदी है, जो वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की उम्मीद किए बैठा है। सवाल यह है—क्या ऐसे भारत की नींव दूषित हवा में सांस लेते कमज़ोर दिमाग़ों पर खड़ी की जा सकती है? प्रदूषण केवल श्वसन या फेफड़ों की बीमारी का मुद्दा नहीं है; यह आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक प्रश्न है। यह व्यक्तिगत नहीं—राष्ट्रीय विफलता है।

विकास की भाषा में बात करें तो—प्रदूषण GDP घटाता है। बीमार आबादी का मतलब स्वास्थ्य ख़र्च, कम उत्पादकता, कमज़ोर मानव संसाधन। अगर भारत के 20 करोड़ बच्चे नियमित तौर पर प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो यह केवल मेडिकल आपदा नहीं, आर्थिक बदहाली की जड़ है, लेकिन नीति निर्माताओं का रवैया इस संकट को मौसमी समस्या समझने का है, अक्टूबर से जनवरी तक कुछ उपाय, फिर सब भूल जाओ। जैसा है, वैसा चलने दो। यह जड़ता, यह राजनीतिक उदासीनता, देश को पीढ़ियों पीछे धकेल रही है।

प्रदूषण से पैदा होने वाला संकट किसी एक सरकार का नहीं—सभी सरकारों, सभी पार्टियों, सभी समाजों की सामूहिक विफलता है। भारत में एयर-क्वालिटी का नियंत्रण सिर्फ़ ग्राफ़, मीटर या ऐप तक सीमित है। यह नीति नहीं, दिखावा बनकर रह गया है। जिस देश के बच्चों का दिमाग़ प्रदूषण से कमज़ोर हो रहा हो, उसके भविष्य पर कितनी आशावादी बातें की जा सकती हैं?

अगर सांस लेना ही संघर्ष बन जाए, तो विकास और प्रगति का हर भाषण मात्र ढोंग रह जाता है, क्योंकि धूल और धुएं से भरे फेफड़े किसी राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाते, वे सिर्फ़ उसके पतन की प्रस्तावना लिखते हैं।

इसका समाधान क्या है? समाधान वही है जिसे हम जान-बूझकर टालते आए हैं, कठोर राजनीतिक इच्छाशक्ति। ऊर्जा नीतियों का बदलाव, परिवहन सुधार, कृषि अवशेष प्रबंधन, शहरी नियोजन, स्वच्छ ईंधन, जनभागीदारी। यह सब मौजूद है, लेकिन विफलता इरादे में है। साफ़ हवा कोई सुविधा नहीं, मौलिक अधिकार है।

प्रदूषण से निपटने की बहस हम अक्सर इस तरह घुमा देते हैं—"दिल्ली में इतना क्यों, लखनऊ में कम क्यों?" "पंजाब के किसान ही दोषी हैं।" "ऑड-ईवन काम नहीं करता।" यह दोषारोपण की राजनीति है, समस्या-समाधान की नहीं। हमारा प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, हम अपनी संतानों को कैसी हवा दे रहे हैं? वह हवा जो उनके फेफड़ों को कमज़ोर करेगी या वह जो उनकी क्षमता को सशक्त बनाएगी?

अगर सांस लेना ही संघर्ष बन जाए, तो विकास और प्रगति का हर भाषण मात्र ढोंग रह जाता है, क्योंकि धूल और धुएं से भरे फेफड़े किसी राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाते, वे सिर्फ़ उसके पतन की प्रस्तावना लिखते हैं। ■■

इस्लाम की नैतिकता और मेहमाननवाज़ी ने अमेरिका के पादरी को इस्लाम से क़रीब किया

❖वारिस हुसैन

सैमुअल अर्ल शॉर्पशायर एक अमेरिकी पादरी थे पर अब वे इस्लाम के प्रचारक हैं। मई 2019 में सऊदी अरब की एक वेबसाइट सबक़ में प्रकाशित अपने साक्षात्कार में उन्होंने अपने इस्लाम धर्म अपनाने के पीछे की कहानी साझा की थी। शॉर्पशायर, जो कि अब सऊदी अरब में ही निवास करते हैं, ने बताया कि उन्हें इस देश में अच्छे लोगों के साथ रहने का अवसर मिला और उनके अच्छे नैतिकतापूर्ण व्यवहार और उच्चस्तर के सत्कार ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और यही उनके इस्लाम की ओर आकर्षित होने का मुख्य कारण बना।



ईसाई धर्म के पूर्व पादरी शॉर्पशायर ने आगे बताया कि 2011 में उन्हें इस्लामी धर्मग्रन्थ क़ुरआन के एक नए और "पढ़ने में आसान" अंग्रेज़ी संस्करण के लिए संपादक के रूप में जेद्दाह में रहने का अवसर मिला। सऊदी दैनिक से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि अपनी यात्रा से पूर्व वह अपने धर्म के कारण सऊदी अरब में हो सकने वाले संभावित भेदभाव को लेकर बहुत चिंतित थे। उनके देश अमेरिका में मुसलमानों और विशेष रूप से सऊदी अरब, के सम्बन्ध में मीडिया ने बड़ी ही नकारात्मक तस्वीर बना रखी थी और हर अमेरिकी उसी से प्रभावित था। पर जेद्दाह में रहते हुए जल्दी ही मुसलमानों के सम्बन्ध में उनकी धारणा बदलने लगी और उन्हें यह विश्वास होने लगा कि जो कुछ उन्होंने मीडिया पर देखा था वह दुष्प्रचार पर आधारित था। क़ुरआन के अनुवाद का सम्पादन करते-करते उन्हें वहां के लोगों की दयालुता, नम्रता और सरल स्वभाव ने इतना प्रभावित किया कि उनके अन्दर इस्लाम को गहराई से जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। और आगे चलकर उन्होंने इस्लाम अपनाने का निर्णय कर लिया।

क़ुरआन के अनुवाद पर काम करते समय, उनका कहना है कि, उनके पास बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब खोजने की कोशिश भी वह साथ-साथ कर रहे थे। यीशु मसीह और वर्जिन मैरी को क़ुरआन में जितना उच्च स्थान दिया गया है और उन्हें जिस पवित्रता और सकारात्मकता के साथ चित्रित किया गया है, इसने उनको बहुत प्रभावित किया। जेद्दाह में रहते हुए क़रीब की मस्जिद से आने वाली अज़ान की आवाज़ और फिर लोगों का मस्जिद में एकत्रित होने के दृश्य ने उनकी सोच को बदलकर रख दिया और उनके अन्दर भी मस्जिद जाने की इच्छा उत्पन्न होने लगी।

धीरे-धीरे उनकी यह इच्छा प्रबल होती गई और उन्हें यह महसूस होने लगा कि अल्लाह उनको मस्जिद की ओर बुला रहा है। कई महीनों तक वे स्वयं को रोकते रहे, पर एक दिन वे अपनी इस इच्छा पर क़ाबू न रख सके और लोगों के साथ वे भी मस्जिद चले गए। वहां उन्हें अल्लाह से सामीप्य का अनुभव हुआ और फिर उन्होंने इस्लाम का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। ज़्यादा समय नहीं लगा और एक दिन उन्होंने न सिर्फ़ इस्लाम स्वीकार कर लिया, बल्कि उसके उपदेशक और प्रचारक भी बन गए।

सत्तर वर्ष की आयु पार कर चुके शॉर्पशायर धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन को मानव अधिकार और विश्व-शांति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। उन्होंने "शांति और सुलह के लिए मुसलमानों की आवाज़" नामक एक संगठन की स्थापना भी की है जिसके माध्यम से वे मुसलमानों को साथ लेकर विश्व में शान्ति, मानवाधिकार, न्याय और धार्मिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हैं। ■■


"ऐ आदम की संतान, हर इबादत के अवसर पर अपनी सज्जा से सुशोभित रहो और खाओ-पियो और सीमा से आगे न बढ़ो, अल्लाह सीमा से आगे बढ़ने वालों को पसन्द नहीं करता।"
(क़ुरआन, 7:31)
A Well Wisher
Arfan Khan (Mapusa, Goa)

विविधा

आदर्श पड़ोस ही शान्तिपूर्ण एवं मज़बूत राष्ट्र की नींव

– फ़ादर रामियो लुइस



"आदर्श पड़ोस, आदर्श समाज" विषय पर एक सार्वजनिक सम्मेलन जमाअत इस्लामी हिन्द, गोवा द्वारा आदर्श कन्वेंशन हॉल, मार्गाओ में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम देशभर में चलाए गए 10 दिवसीय "आदर्श पड़ोस, आदर्श समाज" अभियान का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य पड़ोसी-रिश्तों को मज़बूत बनाना और सामाजिक सौहार्द को पुनर्जीवित करना था। सम्मेलन में मुख्य रूप से यह चिंता उजागर की गई कि आज लोग एक-दूसरे के बहुत नज़दीक रहकर भी मानसिक रूप से दूर होते जा रहे हैं। सामाजिक दूरी और आपसी जुड़ाव की कमी हो गई है। वक्ताओं ने कहा कि तकनीक और सोशल मीडिया ने दुनिया को तो जोड़ दिया है, लेकिन इसके कारण पड़ोसियों से मिलने-जुलने और वास्तविक बातचीत में कमी आ गई। यह रोज़मर्रा के रिश्तों को कमज़ोर कर रहा है और समाज की बुनियाद को प्रभावित कर रहा है।

इस सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें प्रमुख रूप से, फ़ादर रामिरो लुइस (माजोर्डा गांव), मीनाज़ बानू, स्वामिनी गोकुलानंदा सरस्वती (चिन्मय मिशन आश्रम), फ़ादर गैब्रियल कुटिन्हो (नावेलिम गांव के पुजारी), आसिफ़ हुसैन (जमाअत इस्लामी हिन्द, गोवा के अध्यक्ष), शेख़ बशीर (एसोसिएशन ऑफ़ ऑल गोवा मुस्लिम जमाअत के अध्यक्ष) और मुख्य अतिथि मुहम्मद सलीम इंजीनियर, उपाध्यक्ष—जमाअत इस्लामी हिन्द शामिल थे।

सम्मेलन का समापन इस आह्वान के साथ हुआ कि नागरिक पड़ोस के रिश्तों को दोबारा जीवित करें, स्थानीय समुदायों में सक्रिय भूमिका निभाएं, सामुदायिक गतिविधियां आयोजित करें और धैर्य, क्षमा तथा सद्भाव जैसे गुण अपनाएं। चर्चा के दौरान कहा गया कि एक आदर्श पड़ोस ही एक शांतिपूर्ण और मज़बूत राष्ट्र की नींव है।

छोटी-छोटी बातें—जैसे विनम्रता, सहयोग, मदद का हाथ बढ़ाना, दया-भाव और विश्वास एकता को मज़बूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर धर्म करुणा, ज़िम्मेदारी और एक-दूसरे की देखभाल का संदेश देते हैं। वक्ताओं ने बढ़ते व्यक्तिवाद, असुरक्षा और आपसी सम्मान में गिरावट पर भी चिंता जताई और लोगों से अपील की कि वे समाज में हमदर्दी बढ़ाएं, संवाद को बेहतर करें और अपने स्थानीय समुदाय से अधिक जुड़ें।

उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम देशभर में जमाअत इस्लामी हिन्द द्वारा चलाए गए 10 दिवसीय "आदर्श पड़ोस, आदर्श समाज" अभियान का हिस्सा था, जोकि काफ़ी सफल रहा। किसी भी सामाजिक अभियान की सफलता इस बात से मापी जाती है कि वह लोगों के सोचने के तरीक़े और व्यवहार में कितना प्रभाव डाल सका। इस अभियान ने पड़ोस, आपसी रिश्तों और सामाजिक ज़िम्मेदारी जैसे बुनियादी, लेकिन उपेक्षित विषयों को सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में लाकर अपनी सार्थकता सिद्ध की।

इस अभियान की सफलता का संकेत यह भी है कि अलग-अलग क्षेत्रों, समुदायों और धार्मिक पृष्ठभूमियों से जुड़े लोग इससे जुड़े और संवाद का हिस्सा बने। यह अपने-आप में दर्शाता है कि समाज के भीतर मानवीय जुड़ाव और सौहार्द को लेकर एक साझा बेचैनी और सकारात्मक आकांक्षा मौजूद है। लोगों ने केवल सुना ही नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में पड़ोसियों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की ज़रूरत को महसूस किया। "आदर्श पड़ोस, आदर्श समाज" अभियान न केवल सफल रहा, बल्कि समाज को एक सकारात्मक दिशा देने में भी प्रभावी सिद्ध हुआ।

सराहनीय पहल



ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया क़ानून लागू किया है। यह फ़ैसला 10 दिसम्बर से देशभर में लागू हो गया। ऑस्ट्रेलिया सरकार का यह क़दम बच्चों की डिजिटल दुनिया में बढ़ती असुरक्षा को गंभीरता से स्वीकार करने का संकेत देता है। आज सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि वह बच्चों और किशोरों के मानसिक विकास, व्यवहार और आत्म-छवि को गहराई से प्रभावित करने वाला शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। ऐसे में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का निर्णय एक साहसिक और समयोचित पहल प्रतीत होता है।

इस क़ानून का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि यह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नीति-निर्माण के केंद्र में रखता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम, ऑनलाइन तुलना की संस्कृति, साइबर बुलिंग और आपत्तिजनक सामग्री से होने वाले मनोवैज्ञानिक नुक़सान अब किसी से छिपे नहीं हैं। सरकार द्वारा उम्र की सख़्त पुष्टि की ज़िम्मेदारी सीधे सोशल मीडिया कंपनियों पर डालना, तकनीकी कंपनियों की सामाजिक ज़िम्मेदारी को रेखांकित करता है, जो अब तक अक्सर लाभ के आगे गौण रही है।

हालाँकि, इस क़दम की सफलता केवल क़ानून बनाने से नहीं, बल्कि उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन से तय होगी। उम्र सत्यापन की प्रक्रिया निजता, डेटा सुरक्षा और तकनीकी व्यवहारिकता जैसे सवाल भी खड़े करती है। इसके साथ ही माता-पिता, स्कूलों और समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि डिजिटल अनुशासन केवल क़ानूनी प्रतिबंध से नहीं, बल्कि जागरूकता और मार्गदर्शन से विकसित होता है।

कुल मिलाकर, यह निर्णय दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। यदि इसे संतुलित, पारदर्शी और संवेदनशील ढंग से लागू किया गया, तो यह बच्चों को एक अधिक सुरक्षित और स्वस्थ डिजिटल वातावरण देने की दिशा में निर्णायक क़दम साबित हो सकता है।

बच्चों के नैतिक प्रशिक्षण के लिए सीआईओ टीवी लॉंच



जमाअत इस्लामी हिन्द ने C.I.O. TV लॉन्च किया है, जो संगठन के बाल-विभाग द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया एक यूट्यूब चैनल है। जमाअत के महासचिव टी. आरिफ़ अली ने जमाअत मुख्यालय में इस चैनल का उद्घाटन किया। यह प्लेटफ़ॉर्म शैक्षिक और रचनात्मक वीडियो प्रस्तुत करेगा, जिनमें कहानियां, कार्टून पात्र और एआई आधारित दृश्य सामग्री शामिल होंगी, जो विशेष रूप से बच्चों के लिए तैयार की गई हैं।

इस कार्यक्रम में बाल विभाग के प्रमुख एस. अमीनुल हसन और मर्कज़ी तालीमी बोर्ड के प्रमुख सैयद तनवीर अहमद भी मौजूद थे। अन्य पदाधिकारियों में जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम ख़ान और मौलाना वलीउल्लाह सईदी फ़लाही भी शामिल थे। बाल-विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. मुबश्शिरा फ़िरदौस ने कहा कि इस चैनल का उद्देश्य बच्चों में मानसिक विकास, नैतिक प्रशिक्षण और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि हमारी टीम उच्च गुणवत्ता वाली इस्लामी और नैतिक सामग्री तैयार करने की योजना बना रही है, जो युवा दर्शकों की रुचियों से मेल खाए। डॉ. मुबश्शिरा ने उन सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने इस परियोजना पर काम किया और सामग्री निर्माण में सहयोग प्रदान किया।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उम्मीद व्यक्त की कि C.I.O. TV बच्चों के शैक्षिक और नैतिक विकास में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफ़ॉर्म नई पीढ़ी के लिए इस्लामी मूल्यों को पेश करने का एक अनुकूल अवसर प्रदान करता है।

कॉरपोरेट कल्चर ने परिवार व्यवस्था को कमज़ोर किया

समाज को इस्लामी मॉडल की ज़रूरत

– डॉ. जावेद जमील

❖संपादन प्रभाग

जाने-माने विद्वान डॉ. जावेद जमील ने जमाअत इस्लामी हिन्द के हेडक्वार्टर, नयी दिल्ली में "इस्लामी परिवार व्यवस्था और आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता" विषय पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि आधुनिक वैश्विक कॉरपोरेट शक्ति ने मानवीय कमज़ोरियों का शोषण करके समाजों का स्वरूप बदल दिया है, परिवार की संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है और स्वतंत्रता के नाम पर यौन उदारता को सामान्य बना दिया है। अपने भाषण की शुरुआत में डॉ. जमील ने कहा कि क़ुरआन और दूसरे धार्मिक ग्रंथों ने धन के प्रति मानव की ख़तरनाक आसक्ति के ख़िलाफ़ चेतावनी दी है, लेकिन यह व्यक्तिगत कमज़ोरी अब शक्तिशाली कॉरपोरेशनों द्वारा संचालित एक वैश्विक व्यवस्था में बदल गई है।

उन्होंने कहा कि पिछली दो-तीन शताब्दियों में कॉरपोरेट शक्ति इतनी प्रभुत्वशाली हो गई है कि सरकारें उससे प्रभावित हो रही हैं, मीडिया उसके नियंत्रण में है और वह लोगों की चेतना को भी आकार दे रही है। हालत यह है कि राज्य स्वयं कॉरपोरेशनों के स्वामित्व वाली एक संपत्ति में बदल गया है।

डॉ. जमील के अनुसार, आर्थिक और वैचारिक शक्ति का यह संकेंद्रण धर्म को क्षीण कर रहा है, नैतिक नियमों को तोड़ रहा है और कुलीन वर्ग के लिए मुख्य रूप से डिज़ाइन की गई एक आर्थिक व्यवस्था बना रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इसका सबसे ख़तरनाक परिणाम यौन संबंधों का व्यावसायीकरण है, जो "कॉरपोरेट सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी प्रोजेक्ट" है। डॉ. जमील ने तर्क दिया कि कॉरपोरेशनों ने जान-बूझकर परिवार को कमज़ोर किया क्योंकि एक स्थिर परिवार ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक यौन उद्योग के विस्तार में बाधा बनता है। धार्मिक नियमों को धता बताकर और वैश्विक मीडिया कथानों को नियंत्रित करके, कॉरपोरेट ताक़तों ने यौन उदारता को धीरे-धीरे सामान्य बना दिया है, और उसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई है। मीडिया इसके हानिकारक परिणामों को किसी तरह सामने नहीं आने देता है। परिणामस्वरूप, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, यौन अपराध, यौन संचारित रोग, गर्भपात, टूटते घर और मनोवैज्ञानिक आघात में विस्फोटक वृद्धि हुई है। वैश्विक आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने महिलाओं और बच्चों द्वारा वहन किये जा रहे असमान पीड़ा पर प्रकाश डाला। अकेले एड्स ने पिछले तीस वर्षों में लगभग छह करोड़ लोगों की जान ली है, जिसमें जैविक और सामाजिक कमज़ोरी के कारण महिलाएं अधिक प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा, विश्वभर में हर वर्ष 8.6 करोड़ महिलाएं बलात्कार की पीड़ा झेलती हैं, जिसमें पश्चिम में हर चार से दस में से एक महिला यौन हिंसा से प्रभावित होती है। कई पश्चिमी समाजों में अब 30 से 60 प्रतिशत बच्चे एकल-अभिभावक परिवारों में बड़े हो रहे हैं। गर्भपात की दर 7.5 करोड़ वार्षिक को पार कर गई है, जो अक्सर विवाहेतर गर्भधारण से जुड़ा होता है।

इसकी तुलना में इस्लामी मॉडल का वर्णन करते हुए डॉ. जमील ने इस्लामी परिवार व्यवस्था को संतुलित, समग्र और महिलाओं, बच्चों तथा सामाजिक कल्याण की स्वाभाविक रक्षक बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम स्वास्थ्य और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए मानवीय इच्छाओं को नियंत्रित करता है। वह स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता।

उन्होंने समझाया कि इस्लामी सामाजिक संरचना तीन परस्पर जुड़े स्तरों—व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक—पर टिकी है तथा तीन नैतिक स्तंभों—मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और मौलिक निषेध—पर आधारित है, जिसमें तीनों को समान महत्व दिया जाता है। इस्लाम में विवाह केवल एक अनुबंध नहीं है; यह एक सामाजिक संस्था है जो वंश को संरक्षित करती है, महिलाओं की रक्षा करती है, बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करती है और उन्हें माता-पिता, दादा-दादी तथा विस्तारित परिवार के सहायक नेटवर्क में स्थिर करती है। इस्लाम विवाहेत्तर यौन संबंधों को निषिद्ध करता है और समलैंगिकता को अस्वीकार करता है। ■■

आधुनिक दुनिया में अकेलेपन की त्रासदी

❖संपादन प्रभाग

यह एक बेहद दुखद सच्चाई है कि जापान में हर साल तीस हज़ार से अधिक बुज़ुर्ग अकेलेपन की पीड़ा में अपनी जान गंवा देते हैं। मृत्यु हर इंसान का भाग्य है, लेकिन ऐसी मृत्यु जिसे कोई महसूस न करे, जिसके लिए कोई प्रार्थना न करे, जिसको कंधा देने वाला कोई न हो, जिसे कोई याद न करे, वह मानव सभ्यता के माथे पर एक कलंक है। प्रगति के इस युग में, व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। प्रौद्योगिकी पर निर्भरता और रिश्तों की कमी ने समाज को भावनात्मक और सामाजिक अलगाव की ओर धकेल दिया है। ऐसे समाजों में, व्यक्ति जीते जी ही मर जाता है। अक्सर बुज़ुर्गों की मृत्यु का पता कई हफ़्तों या महीनों बाद चलता है, जब दरवाज़ा तोड़कर उनके अंतिम क्षणों के दृश्य को देखा जाता है।



जापानी भाषा में इस त्रासदी को "कोदोकुशी" (Kodo-kushi) कहा जाता है। यानी, एकाकी मृत्यु। एक ऐसी मृत्यु जहां दिल की धड़कन रुकने से पहले ही भावनाएं थम जाती हैं, जहां मानवीय अकेलापन जीवन को भीतर से खा जाता है। शोध से पता चलता है कि जापान में विवाह दर में गिरावट, बच्चों की संख्या में कमी, आर्थिक भागीदारी में कमी और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के बावजूद, अकेले रहना एक सामान्य बात बन गई है। वृद्धावस्था में अकेलापन एक गंभीर समस्या है। यह वह बिंदु है जहां भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक पतन आमने-सामने आ जाते हैं। बीते माह जापान के शहर ओसाका (Osaka) में एक 92 वर्षीय लकवाग्रस्त बुज़ुर्ग और उसकी पत्नी कई हफ़्तों तक बेहोश रहे। बेटा कई साल पहले कहीं दूर चला गया था और कोई भी उनकी ख़बर लेने नहीं आया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, तो जीवन का ख़ालीपन सामने आ गया। दो मृत शरीर समय की उदासीनता की गवाही दे रहे थे।

आज का युग तकनीकी उन्नति, आर्थिक दबाव और तीव्र वैयक्तिकरण का युग है। इन परिवर्तनों ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, लेकिन पारंपरिक पारिवारिक और सामुदायिक रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। वृद्ध और बीमार लोग सामाजिक अलगाव और समर्थन की कमी से पीड़ित हैं, जिससे अवसाद, चिंता और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ गई है।

इस्लामी शिक्षाओं में माता-पिता के प्रति सम्मान का विशेष महत्व है। माता-पिता, बुज़ुर्गों और रिश्तेदारों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना न केवल नैतिक सिद्धांत है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की नींव भी है। इन संबंधों को तोड़ना न केवल सामाजिक हानि है, बल्कि धार्मिक अपराध भी है। इस्लाम में बड़ों की सेवा, अनाथों और पड़ोसियों की देखभाल और रिश्तेदारों के अधिकारों का पालन करना सामाजिक सद्भाव, आपसी सहयोग और भावनात्मक सुरक्षा के सिद्धांत हैं। ■■

मधुमेह के लक्षणों को नज़रअंदाज़ न करें



❖**डॉ. हफ़्सा तस्नीम** (बीयूएमएस)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 422 मिलियन लोग मधुमेह (डायबिटीज़) से प्रभावित हैं और हर साल लगभग 15 लाख मौतें इसी बीमारी के कारण होती हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि पिछले कुछ वर्षों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायबिटीज़ के मामलों में वृद्धि हुई है।

डायबिटीज़ क्या है?

डायबिटीज़ एक दीर्घकालिक (Chronic) मेटाबॉलिक बीमारी है, जिसमें शरीर रक्त में शर्करा (ग्लूकोज़) के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता। ऐसा तब होता है जब इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाए या शरीर इंसुलिन का प्रभावी उपयोग न कर सके। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्न्याशय (Pancreas) में बनता है और शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज़ का उपयोग करने में मदद करता है। डायबिटीज़ में रक्त में बढ़ी हुई शर्करा दिल, गुर्दे, नसों और आंखों को नुक़सान पहुंचा सकती है।

डायबिटीज़ के प्रकार

डायबिटीज़, टाइप-1 : यह एक ऑटो-इम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है। यह आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में प्रकट होती है और इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है।

डायबिटीज़ टाइप-2 : यह सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसका गहरा संबंध मोटापा, ख़राब भोजन आदतों और निष्क्रिय जीवनशैली से है।

गर्भकालीन डायबिटीज़ (Gestational Diabetes) : यह गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होती है, सामान्यतः दूसरी या तीसरी तिमाही में। यह अस्थायी हो सकती है, लेकिन भविष्य में मां और बच्चे—दोनों में टाइप-2 डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ाती है।

प्री-डायबिटीज़ : यह अवस्था ऐसी होती है, जिसमें रक्त में शर्करा सामान्य से अधिक होती है, लेकिन डायबिटीज़ की सीमा तक नहीं पहुंचती। समय पर सावधानी से इसे उलटा भी किया जा सकता है। यह डायबिटीज़ की चेतावनी होती है।

इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप-2 : यह डायबिटीज़ का सबसे प्रमुख कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसे सरल शब्दों में, खाना खाने के बाद हमारा शरीर इंसुलिन बनाता है ताकि रक्त में मौजूद ग्लूकोज़ को ऊर्जा में बदला जा सके। यह हार्मोन जिगर, मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं को संकेत देता है कि शर्करा को अंदर लेकर ऊर्जा के रूप में उपयोग करें।

लेकिन जब कोशिकाएं इंसुलिन के संकेत को मानना बंद कर देती हैं, तो इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी इंसुलिन तो बन रहा होता है, लेकिन कोशिकाएं सही प्रतिक्रिया नहीं देतीं। परिणामस्वरूप रक्त में शर्करा बढ़ने लगती है। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है।

महिलाओं में यह अधिक क्यों?

महिलाओं में इसके अधिक होने के प्रमुख कारण हैं– असंतुलित भोजन (तैलीय, जंक-फूड, मीठे पेय) व्यायाम की कमी, मानसिक तनाव और कम नींद, वज़न में वृद्धि, ख़ासकर पेट के आसपास, हार्मोनल परिवर्तन, जैसे PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम)। इंसुलिन रेजिस्टेंस से सिर्फ़ डायबिटीज़ ही नहीं, बल्कि कई अन्य बीमारियां भी पैदा होती हैं—जैसे हाई बीपी, PCOD आदि।

डायबिटीज़ के लक्षण

बार-बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, असामान्य भूख, अचानक वज़न कम होना, थकान और कमज़ोरी, धुंधला दिखाई देना, घावों का देर से भरना, हाथ-पैर में जलन या सुन्नपन आदि डायबिटीज़ के प्रमुख लक्षण हैं।

डायबिटीज़ के कारण

टाइप-1 प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है। पारिवारिक इतिहास या अनुवांशिक कारण। टाइप-2 इंसुलिन रेजिस्टेंस। मोटापा और निष्क्रिय जीवनशैली। असंतुलित आहार। बढ़ती उम्र। मानसिक तनाव। गर्भकालीन डायबिटीज़। गर्भावस्था के दौरान बने हार्मोन इंसुलिन की प्रभावशीलता घटा देते हैं।

डायबिटीज़ एक दीर्घकालिक (Chronic) मेटाबॉलिक बीमारी है, जिसमें शरीर रक्त में शर्करा (ग्लूकोज़) के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता। ऐसा तब होता है जब इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाए या शरीर इंसुलिन का प्रभावी उपयोग न कर सके। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्न्याशय (Pancreas) में बनता है और शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज़ का उपयोग करने में मदद करता है।

डायबिटीज़ से बचाव के तरीक़े

स्वस्थ एवं संतुलित वज़न बनाए रखें, संतुलित भोजन अपनाएं, चीनी और मीठे पेय से परहेज़, नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान से बचें, पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करने के उपाय अपनाएं और नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं।

सिर्फ़ एक बार शुगर टेस्ट करके अगर रीडिंग अधिक निकले तो इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति को डायबिटीज़ है। सही निदान के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट-लंच/रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c सभी जांचें आवश्यक हैं। डायबिटीज़ के उपचार में उसकी सही प्रकार की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है।

प्री-डायबिटीज़ ⟶ केवल आहार और जीवनशैली सुधार। टाइप-1 ⟶ इंसुलिन थेरेपी। टाइप-2 ⟶ दवा + डाइट + व्यायाम।

हमारे समाज में अक्सर सभी प्रकार के मरीज़ों को एक-सा इलाज दिया जाता है, यह ग़लत है। इसलिए मरीज़ को भी इन बातों की समझ होना आवश्यक है। आम धारणा है कि डायबिटीज़ एक स्थायी रोग है, जिसे सिर्फ़ नियंत्रित किया जा सकता है, इसका इलाज संभव नहीं, लेकिन आधुनिक शोधों ने साबित किया है कि सही भोजन, संतुलित जीवनशैली और नियमित व्यायाम से डायबिटीज़ को नियंत्रित ही नहीं, बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है।

यूरोप के कई वैज्ञानिक और चिकित्सक इस बात पर काम कर रहे हैं कि केवल भोजन में बदलाव से डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। दवाएं कुछ समय तक शुगर नियंत्रित रखती हैं, लेकिन लंबे समय तक इनके उपयोग से गुर्दे, जिगर और हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए अब ज़ोर परहेज़, संतुलित भोजन और जीवनशैली में सुधार पर है।

हमने नाश्ता–दोपहर का भोजन–रात का भोजन जैसी दिनचर्या अपना ली है, जबकि शरीर निश्चित समय का बंधक नहीं है। अस्ल सिद्धांत यह है कि जब वास्तविक भूख लगे तभी खाया जाए, न कि समय के अनुसार। धार्मिक शिक्षाएं भी यही कहती हैं—खाना आवश्यकता के अनुसार हो, आदत के अनुसार नहीं।

यदि व्यक्ति थोड़ी भूख बाक़ी रहने पर खाना बंद कर दे, तो वह मोटापा, डायबिटीज़, बीपी और हृदय रोगों से सुरक्षित रह सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, रोज़मर्रा का भोजन तीन बराबर हिस्सों में बांटना सबसे उत्तम है— 33 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट्स, 33 प्रतिशत प्रोटीन, 33 प्रतिशत स्वस्थ वसा, (Good fats)। यह अनुपात शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराता है और इंसुलिन की कार्यक्षमता भी बढ़ाता है।

ईश्वर ने मानव को प्रकृति के समीप जीवन जीने का मार्ग सिखाया है। यदि हम भोजन में सादगी, प्राकृतिक संतुलन और संयम रखें, रोज़ाना व्यायाम करें तो हम डायबिटीज़ सहित अनेक रोगों से सुरक्षित रह सकते हैं। ■■

(साभार : मासिक हादिया इ-मैगज़ीन)

संघर्ष की शक्ति



❖लुबना सबूब

कोई भी सफलता संघर्ष के बिना संभव नहीं है। संघर्ष से सीखना व्यक्ति में आत्मविश्वास का भाव पैदा करता है। इससे नई क्षमताएं विकसित होती हैं और समस्याओं को सुलझाने के नए तरीक़े सृजित होते हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में निजी और व्यावसायिक रूप से प्रगति कर पाता है।

जीवन की कठिन परीक्षाएं केवल तकलीफ़ें नहीं, बल्कि इंसान के ईमान, सब्र (धैर्य) और इस्तिक़ामत (दृढ़ता) की कसौटी होती हैं। हर कठिनाई के पीछे एक हिकमत (तत्वदर्शिता) होती है।

पवित्र क़ुरआन में कहा गया है—"अतः निश्चय ही कठिनाई के साथ आसानी भी है।" (क़ुरआन, 94:6)

यह आयत हमें यह सिखाती है कि संघर्ष जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। इंसान जब कठिनाइयों का सामना सब्र और तवक्कुल (विश्वास) के साथ करता है, तो उसका रब उसकी राहें आसान कर देता है। संघर्ष से इंसान का ईमान मज़बूत होता है, उसकी आत्मा परिपक्व होती है और उसमें वह दृष्टि पैदा होती है जिससे वह अपनी सीमाओं को पहचानकर उन्हें पार कर सके। संघर्ष की यही भावना जीवन का मूल दर्शन है, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को गहराई, परिपक्वता और वास्तविक सफलता की ओर ले जाता है।

जीवन की कठिन परीक्षाएं केवल तकलीफ़ें नहीं, बल्कि इंसान के ईमान, सब्र (धैर्य) और इस्तिक़ामत (दृढ़ता) की कसौटी होती हैं। हर कठिनाई के पीछे एक हिकमत (तत्वदर्शिता) होती है।

संघर्ष के अनुभव से हमें अपनी सीमाएं पता चलती हैं और विफलता को निराशा के बजाय आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखने का दृष्टिकोण मिलता है। समाज में ऐसे लोग भी होते हैं, जिन्हें बिना संघर्ष के विरासत के तौर पर बहुत कुछ हासिल हो जाता है, मगर वे उसका मोल और महत्त्व नहीं समझ पाते और धीरे-धीरे उसे खो देते हैं। इसलिए संघर्ष से मिली सफलता ही जीवन की अस्ली पूंजी होती है।

जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमें अपनी सीमाओं और क्षमताओं का बेहतर आकलन करने का मौक़ा मिलता है। इस तरह हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यह सीख पाते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है। इससे न केवल आत्मविश्वास को बल मिलता है, बल्कि विपरीत हालात में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह कौशल भविष्य निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। संघर्ष हमें सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और जीवन की चुनौतियां अक्सर अस्थायी होती हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध और परिपक्व बनते हैं। विफलता को सीखने के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना संघर्ष के दौरान सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करता है।

संघर्ष हमें आत्म-चिंतन करने के लिए भी प्रेरित करता है। अपने अनुभव पर गंभीरता से विचार करने और अपनी भूमिका को समझने से व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। व्यक्तिगत विकास के लिए संघर्ष को बाधा के बजाय एक मूल्यवान शिक्षक के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें दोराय नहीं कि जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए कठिन परिश्रम, धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। लगातार प्रयास करते रहने से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। संघर्ष का अर्थ केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करना नहीं है; जब हम किसी कठिनाई का दृढ़ता से सामना करते हैं, तो हमारा आंतरिक रूप से विकास होता है। यह मानसिक एवं भावनात्मक स्तर नए दृष्टिकोण के सृजन में मदद करता है।

संघर्ष का सही दृष्टिकोण अपनाना जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एक कठिन परिस्थिति का सामना करते समय यदि हम उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम नई क्षमताओं और कौशल के साथ सामने आ सकते हैं। कुछ लोग इसे धन, प्रसिद्धि या समाज में मान्यता के आधार पर परिभाषित करते हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत विकास, आत्म-प्राप्ति और संतोष के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मगर सच यह है कि केवल भौतिक संपत्ति की उपलब्धि को ही सफलता के मापदंड के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों में संतोष प्राप्त करता है, तो वह भी सफलता का अनुभव कर सकता है।

संघर्ष केवल सांसारिक सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि रूहानी तरक़्क़ी (आध्यात्मिक उन्नति) का ज़रिया भी है। पवित्र क़ुरआन में स्पष्ट कहा गया है–"जो लोग हमारे रास्ते में संघर्ष करते हैं, हम उन्हें अवश्य अपने मार्ग दिखाएंगे। निस्संदेह ईश्वर सुकर्मियों के साथ है।"

(क़ुरआन, 29:69)

इससे यह सिद्ध होता है कि संघर्ष केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छा, स्वार्थ और कमज़ोरियों से भी होता है। जो व्यक्ति अपनी इन कमज़ोरियों पर क़ाबू पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। इस्लामी दृष्टि में सफलता का अर्थ केवल धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है; बल्कि यह उस शांति, संतोष और आत्म-साक्षात्कार में निहित है जो इंसान को अपने सृजनकर्ता के प्रति सच्चे समर्पण से प्राप्त होती है।

संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं रहती, मगर हर सब्र और प्रयास का फल अवश्य मिलता है। अंततः, संघर्ष से निकला इंसान केवल विजेता नहीं होता, वह अनुभवी, विनम्र और रौशनदिल बनकर समाज के लिए प्रेरणा बनता है। यही संघर्ष की अस्ली शक्ति है। ■■

प्रिय भाइयो और बहनो !

वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है। हम कामना करते हैं कि यह नया साल आपके और आपके परिवार के लिए सच्ची सफलता, ख़ुशी और समृद्धि लेकर आए। आइए, मिलकर ये संकल्प दोहराएं कि हम समाज में–

❖ शांति, प्रेम, आपसी विश्वास और सामाजिक सौहार्द को मज़बूत बनाएंगे।

❖ न्याय की स्थापना करेंगे और सभी समुदायों के बीच समझ और संवाद के पुल बनाकर सांप्रदायिक नफ़रत को समाप्त करेंगे।

❖ आपसी सम्मान और संवाद को बढ़ावा देकर लोगों के बीच विश्वास और भाईचारे को पुनर्स्थापित करेंगे।

❖ हर नागरिक, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और कमज़ोर वर्गों की गरिमा को बनाए रखेंगे।

❖ यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय, शांति, समानता, समृद्धि और नैतिकता हमारे देश की पहचान बन जाए।

❖ हम सर्वशक्तिमान से यह भी प्रार्थना करते हैं कि देश के हर हिस्से में, स्थायी शांति और सौहार्द क़ायम हो। दुनिया में युद्ध समाप्त हों और विश्व के हर कोने में स्थायी शांति स्थापित हो।

आइए, इस साल को आशा और सकारात्मकता का साल बनाने के लिए प्रयास करें।

(An ISO 22000:2005 Certified Company)

OCEANS SECRET

INDIA'S LEADING CANNED FOOD BRAND

- TUNA
- SARDINES
- MACKEREL



www.oceanssecret.in | info@seahath.com | Follow Us: oceanssecret | SHOP ONLINE @ amazon

SEAHATH CANNING CO. Plot - 8, Margao Industrial Estate, Curtorim, GOA, INDIA - 403 709 **CUSTOMER CARE : 0832-2860412**

KANTI Monthly, New Delhi
January 2026
Posted on 20-21 December 2025
Published on 18 December 2025
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52

“

निश्चय ही जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, आज्ञाकारी हैं, सत्यवादी हैं, धैर्यवान हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदक़ा (दान) देने वाले हैं, रोज़े (व्रत) रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों (गुप्तांगों) की रक्षा करने वाले हैं, और अल्लाह को ज़्यादा याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए क्षमादान और बड़ा बदला तैयार कर रखा है।

(क़ुरआन, 33:35)

”

with best compliment from

Md. Amin A. Sheth
Modasa, Gujarat